



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्र सरकार **AN ECONOMIC**
के बजट का **AND FUNCTIONAL**
आर्थिक और **CLASSIFICATION**
कार्यात्मक **OF THE CENTRAL**
वर्गीकरण **GOVERNMENT BUDGET**

2015-2016

वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग	DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
आर्थिक प्रभाग	ECONOMIC DIVISION
नई दिल्ली	NEW DELHI

विषय-सूची CONTENTS

		पृष्ठ	PAGE
प्रस्तावना	Preface		(i)
I. आर्थिक वर्गीकरण	I. Economic Classification	...	1
II. आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण	II. Economic-cum-Functional Classification	...	15
परिशिष्ट	Appendix	...	26

प्रस्तावना

PREFACE

वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग, बजट को आर्थिक विश्लेषण का एक उपयोगी माध्यम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से केन्द्र सरकार के बजटीय लेन-देनों का आर्थिक वर्गीकरण तैयार करता आ रहा है। संक्षेप में, इस वर्गीकरण में केन्द्रीय सरकार के व्ययों और प्राप्तियों जिसमें रेलवे तथा डाक की व्यय और प्राप्तियां भी शामिल हैं, का महत्वपूर्ण आर्थिक श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जिसमें चालू खाते के खर्च को पूंजी परिव्यय से, वस्तुओं और सेवाओं हेतु किए गए व्यय से व्यक्तियों और संस्थाओं को किए गए अन्तरणों से, कर संबंधी प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से तथा उधारों और अन्त-सरकारी ऋणों और अनुदानों आदि से अलग करके दिखाया गया है। इस रीति से पुनर्वर्गीकृत करके केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाली आमदनी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले व्ययों को लेन-देनों के महत्वपूर्ण वर्गों से संबंधित किया जा सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। चूंकि सरकारी खाते की राष्ट्रीय आय-श्रेणी की पद्धति ही आर्थिक वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, इसलिए इस विश्लेषण में वही प्रणाली तथा सिद्धान्त प्रयोग में लाए गये हैं जो कि राष्ट्रीय आय संबंधी लेखांकन प्रणाली में प्रयुक्त किए जाते हैं।

बजट सम्बन्धी परिव्ययों का आगे और विश्लेषण करने के लिए इन्हें सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं तथा अन्य सेवाओं सहित विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण से इस बात के विश्लेषण में सहायता मिलती है कि केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यों या प्रयोजनों के लिए कितनी राशि आवंटित कर रही है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों से संबंधित आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण 1967-68 से तैयार किए जा रहे हैं। आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार के कुल व्यय के आंकड़े बजट दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (डीसीयू) को अन्तरित ब्याज, बढ़े खाते डाले गए ऋणों इत्यादि को चालू खाते से बाहर रखा जाता है। पूंजी खाते में रेलवे और डाक की अपनी निधियों से वित्तपोषित व्यय को शामिल किया जाता है।

आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के 2015-16 के बजट का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण मुख्यतया पहले के वर्षों की प्रणाली के ही अनुरूप है। इस विश्लेषण की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण भाग I और II में दिया गया है और इस वर्गीकरण में इस्तेमाल

Since 1957-58, the Economic Division of the Ministry of Finance has been preparing an economic classification of the Central Government budgetary transactions to make the budget a more useful tool of economic analysis. In brief, this classification involves arranging the expenditures and receipts of the Central Government including those of railways and posts by significant economic categories distinguishing current from capital outlays, spending for goods and services from transfers to individuals and institutions, tax receipts from other receipts, and from borrowing and inter-governmental loans and grants, etc. Reclassified in this manner, the flows into and out of the Central Government can be related to important categories of transactions influencing the behaviour of the other sectors of the economy. Since the national income type of government account is the most prevalent form of an economic classification, the methodology and concepts used in this analysis are those used in the national income accounting system.

For further analysis, outlays can also be reclassified into functional categories including general services, social and economic services and others. Such a functional classification helps in analysing how much the Central Government is allocating to different functions or purposes. Accordingly since 1967-68, an economic-cum-functional classification of the Central Government transactions is being prepared. The figures of total expenditure of the Central Government as per economic and functional classification do not tally with figures given in the Budget documents. In the economic and functional classification, interest transferred to Departmental Commercial Undertakings (DCUs), loans written off etc, are excluded from the current account. In the capital account, expenditure financed out of own funds of Railways and Posts, etc. are included.

The economic-cum-functional classification of the Central Government Budget 2015-16 presented in the following pages broadly conforms to the pattern of the earlier years. The salient features of this analysis

(ii)

की गई विभिन्न मदों की व्युत्पत्ति का तर्काधार अन्त में तकनीकी परिशिष्ट में बताया गया है।

are summarised in Sections I and II, and the rationale for the derivation of various items used in this classification has been explained in the Technical Appendix at the end.

केन्द्र सरकार के 2015-16 के बजट के विश्लेषण से पता चलता है कि केन्द्र सरकार का खपत व्यय जो मजदूरी और वेतन तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आधारित है, 2014-15 (संशोधित अनुमान) के ₹ 3,35,838 करोड़ से बढ़कर 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹3,73,276 करोड़ हो जाएगा। केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण की रकम भी जो 2013-14 (लेखा-विवरण) में ₹74,940 करोड़ थी, बढ़कर 2014-15 (संशोधित अनुमान) में ₹87,518 करोड़ हो जाएगी तथा और बढ़कर 2015-16 (बजट अनुमान) में यह ₹1,08,683 करोड़ हो जाएगी। केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (अन्य क्षेत्रों को पूंजी निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता), दोनों के लिए कुल वित्तीय प्रावधान की रकम, 2014-15 (संशोधित अनुमान) के ₹2,60,955 करोड़ की तुलना में 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹2,62,192 करोड़ होगी। केन्द्र सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों (गैर-विभागीय उपक्रमों को "शेष अर्थव्यवस्था" के रूप में माना जाता है), की निवल निर्बचत वर्ष 2014-15 (संशोधित अनुमान) में ₹2,29,341 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹2,82,555 करोड़ होना अनुमानित है।

केन्द्र सरकार के विकास व्यय में सकल पूंजी निर्माण तथा आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर किया गया चालू व्यय दोनों शामिल हैं। ~~आप ० लाख ०० हजार ००० रूपये~~ 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹6,49,452 करोड़ होने का अनुमान है और यह कुल व्यय का 37.9 प्रतिशत बैठता है।

Analysis of the Central Government Budget 2015-16 shows that the consumption expenditure of the Central Government composed of wages and salaries and purchase of goods and services will increase from ₹3,35,838 crore in 2014-15 (Revised Estimates) to ₹3,73,276 crore in 2015-16 (Budget Estimates). The Central Government's direct gross capital formation will increase from ₹74,940 crore in 2013-14 (Accounts) to ₹87,518 crore in 2014-15 (Revised Estimates) and further to ₹1,08,683 crore in 2015-16 (Budget Estimates). The total financial provision for gross capital formation, both direct and indirect (financial assistance provided to other sectors for capital formation) out of the Central Government budgetary resources in 2015-16 (Budget Estimates) will be ₹2,62,192 crore compared with ₹2,60,955 crore in 2014-15 (Revised Estimates). The net dis-savings of the Central Government and its departmental undertakings (non-departmental undertakings are treated as "rest of the economy") are estimated at ₹2,82,555 crore in 2015-16 (B.E.) against ₹2,29,341 crore in 2014-15 (R.E.).

The Central Government's development expenditure includes both outlays on gross capital formation and current expenditure on economic and social services. Total development expenditure of the Central Government is estimated at ₹6,49,452 crore in 2015-16 (Budget Estimates) and forms 37.9 per cent of the total expenditure.

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण संभवतः इस प्रपत्र की सारणियों में प्रस्तुत कुछ आंकड़ों का जोड़ मेल न खाए।

Note: Due to rounding off some of the figures presented in the tables of this document may not add up to total.

I. आर्थिक वर्गीकरण

इस खण्ड के अन्त में 2015-16 के केन्द्र सरकार के बजट के पुनः वर्गीकृत आंकड़ों के छः विवरण दिये गये हैं। इस लेखा प्रणाली से जिन महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है, वे निम्नलिखित हैं:-

- (क) केन्द्र सरकार का कुल व्यय ;
- (ख) केन्द्र सरकार का अन्तिम परिव्यय ;
- (ग) केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों से पूंजी निर्माण ;
- (घ) केन्द्र सरकार का निवल पूंजी निर्माण और उसकी बचतें,
- (ङ) केन्द्र सरकार के बजटीय संबंधी लेन-देनों में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर, और
- (च) केन्द्र सरकार द्वारा आय का सृजन

(क) कुल व्यय

2. यह अनुमान है कि केन्द्र सरकार का कुल व्यय जो 2014-15 (संशोधित अनुमान) में ₹16,36,916 करोड़ से 4.6 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹17,11,641 करोड़ हो जाएगा। मुख्य व्ययों का आवंटन इस प्रकार है:

केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय *Central Government's Total Expenditure*

(₹करोड़) (₹ crore)

		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
1. अन्तिम परिव्यय	1. Final outlays:	381838	423356	481960
(क) सरकार का खपत संबंधी व्यय (देखिए- विवरण 1)	(a) Government consumption expenditure (vide Acct.1)	306898	335838	373276
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए-विवरण 3)	(b) Gross capital formation (vide Acct. 3)	74940	87518	108683
(i) सकल नियत पूंजी निर्माण	(i) Gross fixed capital formation	71825	85018	105800
(ii) निर्माण कार्य में वृद्धि	(ii) Increase in works stores	3114	2500	2884
2. शेष अर्थव्यवस्था के लिए अन्तरण संबंधी अदायगियां	2. Transfer payments to the rest of the economy	1084574	1165901	1182870
(क) चालू अन्तरण (देखिए- विवरण 1)	(a) Current transfers (vide Acct.1)	940445	1010460	1049553
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए-विवरण 3)	(b) Capital transfers (vide Acct.3)	144129	155441	133317
3. शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसके लिए दिए जाने वाले ऋण	3. Financial investments and loans to the rest of the economy (vide Acct. 4)	44552	47659	46811
4. कुल व्यय (1+2+3)	4. Total expenditure (1+2+3)	1510964	1636916	1711641

(ख) अन्तिम परिव्यय

3. वर्ष 2015-16 के बजट में कुल ₹17,11,641 करोड़ के व्यय में से केन्द्र सरकार का अन्तिम परिव्यय ₹4,81,960 करोड़ या कुल परिव्यय का लगभग 28 प्रतिशत भाग है जो खपत और पूंजी निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग का द्योतक है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में ये अन्तिम परिव्यय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में खपत संबंधी व्यय और पूंजी निर्माण से जुड़ जाते हैं। कुल व्यय के शेष भाग अर्थात् ₹12,29,681 करोड़ अथवा 72 प्रतिशत भाग में शेष-अर्थव्यवस्था को अन्तरण अदायगियों, वित्तीय निवेशों और ऋणों के रूप में किया गया भुगतान शामिल है। इनका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों की चालू या पूंजीगत प्राप्तियों की अनुपूर्ति करना है।

उपभोग संबंधी व्यय

4. उपभोग संबंधी व्यय (अर्थात् मजदूरी और वेतन तथा चालू उपभोग के लिए माल और सेवाओं पर होने वाला व्यय) के लिए 2015-16 के बजट

I. ECONOMIC CLASSIFICATION

A set of six accounts containing the reclassified data from the Central Government Budget for 2015-16 is placed at the end of this section. Some significant magnitudes emerging from this system of accounts are:

- (a) The Central Government's total expenditure;
- (b) The Central Government's final outlays;
- (c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government;
- (d) Net capital formation and savings of the Central Government;
- (e) The various measures of deficit in the Central Government's budgetary transactions; and
- (f) Income generation by the Central Government.

(a) Total Expenditure

2. Total expenditure of the Central Government is estimated to increase by 4.6 per cent from ₹16,36,916 crore in 2014-15 (Revised Estimates) to ₹17,11,641 crore in 2015-16 (Budget Estimates). The allocation of major types of expenditure is as follows:

(b) Final Outlays

3. Of the total expenditure of ₹17,11,641 crore budgeted for 2015-16, ₹4,81,960 crore or 28 per cent constitute final outlays of the Central Government representing its direct demand for goods and services for consumption and capital formation. In a system of national accounts, these final outlays get linked up with the consumption expenditure and capital formation in other sectors of the economy. The rest of the total expenditure amounting to ₹12,29,681 crore or 72 per cent constitute disbursements by way of transfer payments, financial investment and loans to the rest of the economy, and are intended to supplement current and capital receipts of other sectors.

Consumption Expenditure

4. Consumption expenditure (i.e. expenditure on wages and salaries and commodities and services for current use)

में ₹3,73,276 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है वह अन्तिम परिस्य का 77 प्रतिशत और कुल व्यय का 22 प्रतिशत बैठती है। 2015-16 (ब.अ.) में उपभोग व्यय में हुई वृद्धि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में 11.1 प्रतिशत बैठती है। वर्ष 2013-14 (लेखा) की तुलना में वर्ष 2014-15 (संशोधित अनुमान) में उपभोग व्यय में वृद्धि 9.4 प्रतिशत थी।

सकल पूंजी निर्माण

5. केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष सकल नियत पूंजी निर्माण (अर्थात् इमारतों, लोक निर्माण कार्यों, उपस्करों और अन्य नियत परिसम्पत्तियों में निवेश) के बारे में अनुमान है कि यह 2014-15 (संशोधित अनुमान) के ₹85,018 करोड़ से 24.4 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 (ब.अ.) में ₹1,05,800 करोड़ हो जाएगा। सकल पूंजी निर्माण के घटक में से एक यथा निर्माण कार्य में परिवर्तन, में 2014-15 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ग) केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों से पूंजी निर्माण

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

6. सीधे तौर पर किए गए पूंजी निर्माण के अतिरिक्त केन्द्र सरकार शेष अर्थव्यवस्था को अनुदानों, ऋणों के माध्यम से और शेयर पूंजी में निवेश कर पूंजी निर्माण करने में सहायता देती है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹1,53,509 करोड़ की बजटीय सहायता वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 11.5 प्रतिशत कम है।

budgeted at ₹3,73,276 crore for 2015-16 forms 77 per cent of the final outlays and 22 per cent of the total expenditure. The increase in consumption expenditure works out to 11.1 per cent for 2015-16 (BE) over revised estimates for the previous year. The growth in consumption expenditure in 2014-15 (Revised Estimates) over 2013-14 (Accounts) was 9.4 per cent.

Gross Capital Formation

5. The Central Government's direct gross fixed capital formation (i.e. investment in buildings, public works, equipments and other fixed assets) is estimated to increase by 24.4 per cent, from ₹ 85,018 crore in 2014-15 (Revised Estimates) to ₹1,05,800 crore in 2015-16 (BE). One of the components of gross capital formation, viz., changes in works stores, is budgeted to increase by 15.4 per cent over 2014-15 (Revised Estimates).

(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government

Financial Assistance for Capital Formation

6. In addition to the capital formation directly undertaken, the Central Government also provides assistance to the rest of the economy for capital formation through grants, loans and investment in share capital. The budgeted assistance of ₹1,53,509 crore for 2015-16 is 11.5 per cent lower than the Revised Estimates of 2014-15.

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता Financial Assistance for Capital Formation

		(₹करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
1. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (देखिए विवरण 3 में मद संख्या 3.1 (क) और विवरण 4 में मद संख्या 2.1)	1. States and Union Territories (vide items 3.1 (a) in Acct. 3 and 2.1 in Acct. 4)	51336	117673	89158
2. गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (देखिए विवरण 4 में मद संख्या 1.1 तथा 2.3)*	2. Non-departmental commercial undertakings (vide items 1.1 and 2.3 in Acct.4)*	28514	20547	20140
3. स्थानीय प्राधिकरण (देखिए विवरण 3, में मद संख्या 3.1 (ख) और विवरण 4 में मद संख्या 2.2.)	3. Local authorities (vide items 3.1(b) in Acct.3 and 2.2 in Acct.4)	4831	4508	6035
4. अन्य (देखिए विवरण 3 में मद संख्या 3.1 (ग) और विवरण 4 में मद संख्या 1.2 और 2.4)	4. Others (vide items 3.1(c) in Acct. 3 and 1.2 and 2.4 in Acct. 4)	83255	30708	38176
5. पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (1+2+3+4)	5. Financial assistance for capital formation (1+2+3+4)	167937	173437	153509

* यह मूलतः केन्द्र सरकार द्वारा किया गया पूंजी निर्माण है, लेकिन चूंकि गैर-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शेष अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध मान लिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले परिस्य को शेष अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मान लिया गया है।

* This is essentially capital formation by the Central Government but since non-departmental commercial undertakings are treated as belonging to the rest of the economy, the outlay under this head is taken as financial assistance for capital formation in the rest of the economy.

पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था

7. इस प्रकार केन्द्र सरकार, 2015-16 में सकल पूंजी निर्माण (निर्माण कार्य भंडार में ₹2,884 करोड़ की वृद्धि सहित) के लिए बजट में उपलब्ध संसाधनों से ₹2,62,192 करोड़ की व्यवस्था करेगी जो कुल व्यय का 15.3 प्रतिशत बैठती है। सकल पूंजी निर्माण के लिए 2015-16 (ब.अ.) में की गई कुल व्यवस्था, वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

Total provision for capital formation

7. Thus, in the aggregate, the Central Government would provide ₹2,62,192 crore for gross capital formation (including increase in work store of ₹2,884 crore) out of its budgetary resources during 2015-16 representing 15.3 per cent of its total expenditure. The aggregate provision for gross capital formation for 2015-16 (BE) shows a growth of 0.5 per cent over the revised estimates for 2014-15.

बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण
Gross Capital Formation out of the Budgetary Resources

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14	2014-15	2015-16
		लेखा-विवरण	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. केन्द्र सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	1. Gross capital formation by the Central Government	74940	87518	108683
2. शेष अर्थव्यवस्था को सकल पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	2. Financial assistance for capital formation to the rest of the economy	167937	173437	153509
3. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण (1+2)	3. Gross capital formation out of the budgetary resources of the Central Government (1+2)	242877	260955	262192

(घ) सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतें

(d) Net Capital Formation and Net Savings by the Government

निवल पूंजी निर्माण

8. सरकार द्वारा किये जाने वाले निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतों में अन्तर से सरकार के बजट संबंधी कार्य के प्रभाव का पता चलता है। केन्द्र सरकार द्वारा 2015-16 में ₹1,01,183 करोड़ के निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् अचल परिसम्पत्तियों और निर्माण कार्य भंडारों में होने वाली निवल वृद्धि) का जो अनुमान लगाया गया है वह सकल पूंजी-निर्माण में से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा नवीकरण और प्रतिस्थापन पर किये जाने वाले ₹7,500 करोड़ के व्यय की रकम को घटाने के बाद लगाया गया है। कुल निवल पूंजी निर्माण के घटक इस प्रकार हैं:-

Net Capital Formation

8. The impact of the Government's budgetary operations is indicated by the difference between its net capital formation and net savings. The net capital formation by the Central Government (i.e. net addition to the stock of fixed assets and works stores) estimated at ₹ 1,01,183 crore for 2015-16 has been arrived at by deducting from gross capital formation, the provision of ₹ 7,500 crore for expenditure on renewals and replacements by the departmental commercial undertakings. The components of total net capital formation are as follows:-

केन्द्र सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण Central Government's Net Capital Formation

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14	2014-15	2015-16
		लेखा-विवरण	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. निर्माण कार्य (देखिए-विवरण 3 में मद संस्था 1.1 (क))	1. Construction works (vide item 1.1(a) in Acct. 3)	59084	63614	83789
2. मशीनरी और उपस्कर (देखिए-विवरण 3 में मद संस्था 1.2 (क))	2. Machinery and equipment (vide item 1.2(a) in Acct. 3)	5621	14024	14510
3. निर्माण कार्य संबंधी वृद्धि (देखिए-विवरण 3, मद संस्था 2)	3. Increase in works stores (vide item 2 in Acct. 3)	3114	2500	2884
4. केन्द्र सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण (1+2+3)	4. Net capital formation by the Central Government (1+2+3)	67820	80138	101183

टिप्पणी: निवल पूंजी निर्माण की रकम का अनुमान लगाते समय इसमें से प्रशासनिक इमारतों के संबंध में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर किया गया खर्च घटाया नहीं गया है जिसके लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है।

Note : The net capital formation arrived at is without deducting expenditure on renewals and replacements in respect of administrative buildings for which no estimates are available.

निवल बचतें

Net Savings

9. केन्द्र सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों की निवल निर्वर्चतें 2013-14 में ₹2,45,388 करोड़, 2014-15 (सं.अ.) में ₹2,29,341 करोड़ थीं और 2015-16 में इनके ₹2,82,555 करोड़ होने की बजटीय व्यवस्था है।

9. The net dis-savings of the Central Government and its departmental undertakings were ₹2,45,388 crore in 2013-14, ₹2,29,341 crore in 2014-15 (RE) and are budgeted at ₹ 2,82,555 crore in 2015-16.

केन्द्र सरकार की निवल बचतें *Central Government's Net Savings*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14	2014-15	2015-16
		लेखा-विवरण	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. सरकारी प्रशासन की बचतें (देखिए-विवरण 3 में मद संख्या 5.1)	1. Savings of Government Administration (vide item 5.1 in Acct. 3)	(-)245498	(-)231471	(-)293333
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल लाभ (i)+(ii)	2. Net profits of departmental commercial undertakings (i)+(ii)	(-) 168	3996	12778
(i) सरकारी प्रशासन को अन्तरित (देखिए-विवरण 2 में मद संख्या 7)	(i) Transferred to Government Administration (vide item 7 in Acct.2)	869	2661	2791
(ii) प्रतिधारित (देखिए-विवरण 2 में मद संख्या 8)	(ii) Retained (vide item 8 in Acct.2)	(-) 1037	1335	9987
3. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का मूल्यहास संबंधी प्रावधान (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.3)	3. Depreciation provision of departmental commercial undertakings (vide item 5.3 in Acct.3)	8267	8176	8291
4. सरकार की सकल बचतें (1+2 (ii)+3)	4. Gross savings by Government (1+2(ii)+3)	(-)238268	(-)221961	(-)275055
5. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 1.1 (ख) और 1.2 (ख))	5. Expenditure on renewals and replacement of departmental commercial undertakings (vide item 1.1(b) and 1.2(b) in Acct. 3)	7120	7380	7500
6. सरकार की निवल बचत (4-5)	6. Net savings by the Government (4-5)	(-)245388	(-)229341	(-)282555

(ड) आय संबंधी घाटा

10. केन्द्र सरकार की निवल बचतों की तुलना में उसका सीधा निवल पूंजी निर्माण जितना अधिक हो, वह केन्द्रीय सरकार की आय में होने वाले घाटे का द्योतक होता है। आय संबंधी घाटे की रकम जो 2013-14 में ₹3,13,208 करोड़ और 2014-15 (सं.अ) में ₹3,09,478 करोड़ थी, 2015-16 (ब.अ.) में ₹3,83,739 करोड़ होने का अनुमान है।

(e) Income Deficit

10. The excess of direct net capital formation over the net savings measures the income deficit of the Central Government. The income deficit which was ₹3,13,208 crore in 2013-14 and ₹3,09,478 crore in 2014-15 (RE), has been estimated at ₹3,83,739 crore in 2015-16 (BE).

आय संबंधी घाटा *Income Deficit*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14	2014-15	2015-16
		लेखा-विवरण	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा किया गया निवल निवेश)	1. Net capital formation (i.e. net investment by the Central Government)	67820	80138	101183
2. केन्द्र सरकार की निवल बचत	2. Net savings by the Central Government	(-)245388	(-)229341	(-)282555
3. केन्द्र सरकार का आय संबंधी घाटा (1-2)	3. Income deficit of the Central Government (1-2)	313208	309478	383739

11. पूंजी अन्तरणों का समायोजन कर दिये जाने के बाद आय संबंधी घाटे को जब शेषों तथा ऋणों में किये गये निवेशों जैसी वित्तीय परिसम्पत्तियों में सरकार के निवल लेन-देनों से हुए घाटे में जोड़ दिया जाता है तब वह सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताओं का द्योतक हो जाता है और उसे विवरण 3 और 4 की सन्तुलनकारी मदों की रकम के रूप में दिखाया गया है।

11. The income deficit, when added, after adjusting for net capital transfers, to the deficit arising out of the Government's net transactions in financial assets such as investment in shares and loans, represents the Government's total requirements of finance and is given by the sum of the balancing items in Accounts 3 and 4.

केन्द्र सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताएं *Central Government's Total Requirements of Finance*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14	2014-15	2015-16
		लेखा-विवरण	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देनों पर घाटा और अंतरण (देखिए-विवरण 3 की संतुलनकारी मद)	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers (vide balancing item in Acct. 3)	453719	462108	515282
2. वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि (देखिए-विवरण 4 की संतुलनकारी मद)	2. Net increase in financial assets (vide balancing item in Acct. 4)	2689	5421	(-)33441
3. कुल वित्तीय आवश्यकताएं (1+2)	3. Total requirements of finance (1+2)	456408	467529	481841

12. नीचे दी गई सारणी में वे स्रोत दर्शाए गए हैं जिनके माध्यम से उपर्युक्त सारणी में दिखाई गई कुल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया गया है :

12. The following table sets out the sources through which the total financing requirements in the above table have been met:

वित्तपोषण के स्रोत Sources of Financing

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
1. निवल उधार	1. Net borrowings	475579	483200	469799
1.1 बाजार ऋण (निवल)	1.1 Market loans (net)	453551	446922	456405
1.2 विदेशी ऋण (निवल)	1.2 External Debt (net)	7292	9705	11173
(क) परिक्रामी निधि	(a) Revolving Fund	-	-	-
(ख) अन्य	(b) Others	7292	9705	11173
1.3 लघु बचत (निवल)	1.3 Small savings (net)	33283	4983	23836
1.4 राज्य/लोक भविष्य निधियां (निवल)	1.4 State/Public Provident Funds (net)	(-)1909	10788	11785
1.5 गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा राशियां	1.5 Special deposits of non-government Provident Funds	-	-	-
1.6 विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	1.6 Miscellaneous capital receipts (net)	(-)24367	(-)40367	(-)63463
1.7 शेष अर्थव्यवस्था को राजकोषीय हुण्डियां जारी करना (निवल)*	1.7 Issue of treasury bills to the rest of the economy (net)*	7729	51169	30063
2. रोकड़ बाकी से आहरण	2. Draw down of cash balance	(-)19171	(-)15671	12041
2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के पास राजकोषीय हुण्डियों में निवल वृद्धि	2.1 Net increase in the RBI's holdings of Treasury Bills	-	-	-
2.2 रोकड़ बाकी से आहरण	2.2 Withdrawal from cash balances	(-)19171	(-)15671	12041
3. जोड़ (1+2)	3. Total (1+2)	456408	467529	481841
* यह राज्य सरकारों, बैंकों, अनुमोदित पार्टियों और जनता के हाथ बेची गई राजकोषीय हुण्डियों में हुए निवल परिवर्तन का द्योतक है। इसे समायोजित करते हुए, बजट में प्रयुक्त अवधारणा के अनुसार 2013-14 में रोकड़ बाकी से आहरण ₹(-)19,171 करोड़ बैठता है।		* Denotes net change in the treasury bill holdings of State Governments, banks, approved parties and the public. Adjusting for this, the draw down of cash balance works out to ₹ (-)19,171 crore in 2013-14 as per the concept used in the Budget.		

(च) आय सृजन

13. केन्द्र सरकार के बजट संबंधी कार्यों से 2015-16 में कुल ₹3,22,679 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है जिसकी तुलना में यह आमदनी 2014-15 (सं.अ.) में ₹2,85,052 करोड़ थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली कुल आमदनी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(f) Income Generation

13. The budgetary operations of the Central Government during 2015-16 are expected to generate a total income of ₹3,22,679 crore compared to ₹2,85,052 crore in 2014-15 (RE). The details of the total income generation by the Central Government are as follows:-

आय सृजन Income Generation

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन (देखिए-विवरण 1 में मद संख्या 1.1)	1. Wages and salaries paid by Government Administration (vide item 1.1 in Acct. 1)	160827	183103	196600
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल उत्पादन	2. Net output of departmental commercial undertakings	68541	80745	98150
(क) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और रख-रखाव संबंधी मजदूरी और वेतन के भाग सहित)	(a) Wages and salaries (including wages and salaries component of repairs and maintenance operations)	58434	65440	72432
(ख) व्याज	(b) Interest	9128	10513	12149
(ग) प्रशासन को अन्तरित और प्रतिधारित लाभ जिसमें नवीकरण और प्रतिस्थापन के मुकाबले मूल्यहास की व्यवस्था का आधिक्य शामिल है	(c) Profits transferred to administration and retained plus excess of depreciation provision over renewals and replacements	979	4792	13569
3. निर्माण कार्य पर होने वाले सरकारी परिव्यय का मजदूरी और वेतन संबंधी भाग*	3. Wages and salaries component of Government outlays on construction*	19695	21205	27930
4. जोड़ (1+2+3)	4. Total (1+2+3)	249063	285052	322679

* विवरण 3 में दिखाए गए निर्माण संबंधी कुल व्यय का एक तिहाई भाग।

* One-third of the total expenditure on construction shown in Account 3.

समाधान

14. निम्नलिखित विवरण में 2015-16 के बजट में दिए गए चालू राजस्व और चालू तथा पूंजीगत व्यय के आंकड़ों और वर्तमान वर्गीकरण के विवरण संख्या 1 और 3 में दिए आंकड़ों का पारस्परिक समाधान दिखाया गया है।

Reconciliation

14. The following statement provides a reconciliation between the magnitudes of current revenues and current and capital expenditures as given in the Budget for 2015-16 and the magnitudes mentioned in Accounts 1 and 3 of the present Classification.

चालू खाता राजस्व *Current Account Revenue*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
I.	राजस्व जैसा कि बजट में दिखाया गया है	I.	Revenue as shown in the Budget	1217794.2 1356546.9 1397619.6
II.	घटाइए :-	II.	Deduct:	
1.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज संबंधी प्राप्तियां	1.	Interest receipts from departmental commercial undertakings	9128.0 10512.9 12149.4
2.	पूंजी खाते में अन्तरित विदेशी अनुदान	2.	Foreign grants transferred to capital account	3618.1 2811.1 1773.8
3.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अन्तरित अधिभार	3.	Surcharge transferred to National Calamity Contingency Fund (NCCF)	4649.9 5120.0 5690.0
4.	विवरण 2 में अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां (क) रेलवे (ख) डाक (ग) अन्य	4.	Receipts of departmental commercial undertakings transferred to Account 2: (a) Railways (b) Posts (c) Others	143213.9 163450.1 188556.7 10730.4 11327.9 12036.9 18394.3 22045.4 23021.5
5.	रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	5.	Defence receipts (netted against defence expenditure)	5515.9 7953.2 6480.8
6.	राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल उप-कर की प्रतिपूर्ति	6.	Reimbursement of Water Cess to State/Central Pollution Control Board	261.7 225.0 250.0
7.	ब्याज/गारंटी शुल्क की माफी, ऋण को बट्टे खाते डालकर इत्यादि के रूप में सीपीएसयू को दी गई राहत	7.	Relief provided to CPSUs in the form of Waiver of interest/guarantee fee, write off loans etc.	291.7 414.9 5.2
8.	दिल्ली एनसीटी की सरकार से उसके कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान करने हेतु प्राप्तियां और राज्य सरकारों के विरुद्ध बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ब्याज माफी	8.	Receipts from Government of NCT of Delhi towards payment of pensions to its employees and, write off loans/waiver of interest outstanding against State Governments	68.3 1096.4 1006.0
9.	उधारों की लागत घटाकर बाजार उधारों से संबंधित प्राप्तियां	9.	Receipts incidental to market borrowing taken in reduction of cost of borrowing	20946.0 19424.3 19944.1
जोड़ - II		Total - II		216818.0 244381.1 270914.4
III.	जोड़िए : विवरण 2 से अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ	III.	Add:	
जोड़ - III			Profits of departmental commercial undertakings transferred from Account 2	868.9 2661.1 2791.0
			Total - III	868.9 2661.1 2791.0
IV.	सरकारी प्रशासन का चालू राजस्व जैसा कि बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया है।	IV.	Current revenue of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget	
(I-II+III)		(I-II+III)		1001845.0 1114826.9 1129496.3

चालू खाता व्यय *Current Account Expenditure*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
I.	बजट में दिखाया गया राजस्व संबंधी व्यय	I.	Revenue expenditure as shown in the Budget	1575096.8 1719809.5 1792561.7
II.	घटाइए :-	II.	Deduct:	
1.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्तरित ब्याज	1.	Interest transferred to departmental commercial undertakings	9128.0 10512.9 12149.4
2.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अन्तरित अधिभार	2.	Surcharge transferred to National Calamity Contingency Fund (NCCF)	4649.9 5120.0 5690.0
3.	राजस्व खाते में पूंजी जैसा व्यय	3.	Expenditure of capital nature in the Revenue Account	152456.0 165333.2 143340.2
4.	निधियों को निवल अन्तरण	4.	Net transfer to funds	36366.8 43948.9 47368.8
5.	बजट में सम्मिलित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	5.	Current expenditure of departmental commercial undertakings included in the Budget:	
(क)	रेलवे	(a)	Railways	143213.9 163450.1 188556.7
(ख)	डाक	(b)	Posts	16203.5 17836.2 18828.3
(ग)	अन्य	(c)	Others	17525.4 19384.3 20230.5
6.	बटुटे खाते डाले गये ऋण	6.	Loans written off	1.2 0.2 0.0
7.	रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	7.	Defence receipts (netted against defence expenditure)	5515.9 7953.2 6480.8
8.	उज्बेकिस्तान की सरकार येमेन और कज़किस्तान पर बकाया ऋणों/ब्याज की माफी	8.	Waiver of loans/interest outstanding against Government of Uzbekistan Yemen and Kazakhstan	0.0 0.0 0.0
9.	राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उप-कर की प्रतिपूर्ति	9.	Reimbursement of Water Cess to State/Central Pollution Control Boards	261.7 225.0 250.0
10.	राज्य सरकारों की ओर बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालना/ब्याज माफी	10.	Write off Loans/Waiver of interest outstanding against State Government and write off /conversion of Loans	63.7 0.0 0.0
11.	बट्टे खाते डालना/तथा ऋणों का परिवर्तन	11.	Relief provided to CPSUs in the form of waiver of interest/guarantee fee, write off loans etc.	291.7 414.9 5.2
12.	ऋणों को बट्टे खाते डालना/गारंटी शुल्क माफ करके सीपीएसयू को दी गई राहत।	12.	Redemption of securities issued to Strees Assets Stabilizities Fund	250.0 250.0 0.0
13.	ऋणभार ग्रस्त परिसंपत्तियों के स्थिरीकरण कोष को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	13.	Write off of loans/penal interest to others e.t.c. taken in reduction of expenditure	4.6 623.5 476.5
14.	व्यय को घटाने हेतु ऋणों को बट्टे खाते डालना/अन्यों को दण्डात्मक ब्याज आदि को लेना	14.	Receipts from Government of NCT towards payment of pension to its employees	0.0 1000.0 1000.0
15.	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार से प्राप्त उसके कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु प्राप्तियां	15.	Receipts incidental to market borrowings taken in reduction of cost of borrowings	20946.0 19424.3 19944.1
15.	उधारों की लागत को घटाकर बाजार उधार से संबंधित प्राप्तियां			
जोड़ - II		Total - II	406878.2	455476.6
III.	जोड़िए :	III.	Add:	
1.	रक्षा पूंजी परिव्यय	1.	Defence capital outlay	79125.1 81965.2 94588.0
2.	पूंजी खाते का राजस्व जैसा व्यय	2.	Expenditure of revenue nature in the capital account	0.0 0.0 0.0
जोड़ - III		Total - III	79125.1	81965.2
IV.	बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया सरकारी प्रशासन का चालू व्यय (I-II+III)	IV.	Current expenditure of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	1247343.6
				1346298.2
				1422829.1

पूंजी खाता व्यय *Capital Account Expenditure*

		(₹ करोड़) (₹ crore)		
		2013-14 लेखा-विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
I. राजस्व खाते से न चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय जैसा बजट में दिखाया गया है	I. Capital expenditure outside the revenue A/C as shown in the Budget	168844.5	175391.5	217353.8
II. घटाइए :-	II. Deduct:			
1. विवरण 1 में ले जाया गया रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay taken to Account I	79125.1	81965.2	94588.0
2. विवरण 4 में ले जाया गया शेयरों में किया गया वित्तीय निवेश	2. Financial investment in shares taken to Account 4	27098.3	19409.4	20012.6
3. विवरण 4 में ले जाया गया अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	3. Subscription to International Financial Organisations taken to Account 4	844.1	5289.6	1101.1
4. राजस्व प्रकृति की मदों को लेखा 1 तथा 2 में लेना	4. Items of Revenue nature taken to Accounts 1 & 2	0.0	0.0	0.0
जोड़ - II	Total - II	107067.5	106137.2	115231.2
III. जोड़िए :	III. Add:			
1. रेलवे और डाक-तार की अपनी निधियों से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय	1. Capital expenditure financed out of Railways', and Posts' own funds	11698.2	17948.7	19478.1
2. राजस्व खाते से लाया गया पूंजी व्यय	2. Capital expenditure brought over from Revenue account	152456.0	165333.2	143340.2
3. पूंजीगत व्यय अपनी ही निधियों से	3. Capital expenditure financed out of their own fund	(-)6857.6	(-)9577.6	(-)22940.1
जोड़ - III	Total - III	157296.7	173704.3	139878.3
IV. बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 3 में दिया गया पूंजीगत व्यय (I-II+III)	IV. Capital expenditure as shown in Account 3 of the Economic Classi- fication of the Budget (I-II+III)	219073.7	242958.6	242000.8

केन्द्रीय सरकार

CENTRAL GOVERNMENT

खाते 1 व वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद व वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद के खाते

Account 1: Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Government Administration j

(` करोड़) (` crore)

वर्ग	Expenditure	2013-14 खाते Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget	वर्ग	Revenue	2013-14 खाते Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
1. = (वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	1. Consumption expenditure	306898.3	335838.1	373276.4	6. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	6. Tax Receipts	815854.2	908462.8	919842.3
1.1. वेतन व वेतन	1.1 Wages and Salaries	160827.0	183103.1	196599.9	6.1. वेतन व वेतन (वस्तु-सेवा)	6.1 Taxes on income and wealth	633578.3	699766.9	791578.6
1.2. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	1.2 Commodities and Services	146071.2	152735.0	176676.6	6.2. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	6.2 Taxes on commodities and transactions	505155.5	551624.3	657912.0
2. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	2. Transfer Payments	940445.2	1010460.1	1049552.7	6.3. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	6.3 States Share excluded from Consolidated Fund of India	322879.5	342928.5	529648.2
2.1. ब्याज	2.1 Interest	365125.7	400841.4	443995.8	7. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	7. Income from property and enterprises	121724.1	119150.7	130333.7
2.2. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	2.2 Grants:	243311.1	257493.4	265834.7	7.1. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	7.1 Profits transferred by Departmental Commercial Undertakings	868.9	2661.1	2791.0
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(a) To States and Union Territories	142785.5	206250.3	208415.7	7.2. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	7.2 Dividends paid by Non-Departmental Commercial Undertakings	25928.7	28423.8	36175.1
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(b) To Local Authorities	469.7	462.2	471.6	7.3. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	7.3 Profits of the RBI & other financial institutions	64513.2	60358.0	64477.0
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(c) To others	100056.0	50781.0	56947.4	7.4. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	7.4 Interest Receipts (a) From States and Union Territories	8985.1	8269.2	8139.7
2.3. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	2.3 Other current transfers	332008.4	352125.3	339722.2	7.5. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद (वस्तु-सेवा)	7.5 Others	16524.3	14525.2	14318.0
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(a) Subsidies	267813.0	278210.4	257751.3	8. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	8. Fees and Miscellaneous Receipts	64266.7	87213.4	79320.3
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(b) Pensions	62730.7	71477.1	78176.0					
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(c) Debt Relief	0.00	0.00	0.00					
(वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद)	(c) Others	1464.7	2437.8	3795.0					
3. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	3. Total expenditure	1247343.4	1346298.2	1422829.1					
4. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	4. Saving on Current Account	(-)245498.4	(-)231471.3	(-)293332.8					
5. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	5. Total	1001845.0	1114826.9	1129496.3	9. वस्तु-सेवा व वस्तु-सेवा-नकद	9. Total	1001845.0	1114826.9	1129496.3

[illegible]

(`BEE[®] 1/2) (` crore)

2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
Accounts	Revised	Budget	Accounts	Revised	Budget
1. Gross Fixed Capital Formation	71825.4	85018.2	105799.7	5. Gross Savings	(-)238268.1
1.1 Buildings and other construction	63993.3	68985.6	89695.8	5.1 Savings on current account (Administration)	(-)245498.4
(a) New outlay	59084.3	63613.8	83789.3	5.2 Retained profits of departmental commercial undertakings	(-)231471.3
(b) Renewal and Replacements	4909.1	5371.8	5906.5	5.3 Depreciation provision	(-)293332.8
1.2 Machinery and Equipment	7832.1	16032.6	16103.8	6. Capital Transfers	3618.1
(a) New Outlay	5621.3	14024.3	14510.3	6.1 Foreign Grants	3618.1
(b) Renewal and Replacements	2210.8	2008.2	1593.5	6.2 Other Capital receipts	...
2. Increase in work stores	3114.5	2499.6	2883.7	7. Balance: Deficit on all transactions in commodities and services and transfers	453719.0
3. Capital Transfers	144129.0	155440.8	133317.3	8. Total	242958.6
3.1 Grants for capital formation:	134647.7	148097.5	126171.4		
(a) To States and Union Territories	51333.2	117672.4	89156.3		
(ii) To N D U	0.00	0.00	0.00		
(b) To local authorities	198.5	157.0	175.0		
(c) To others	83116.0	30268.0	36840.2		
3.2 Gratuities and commuted value of pensions	9481.4	7343.4	7145.9		
3.3 Other Capital Transfers	0.00	0.00	0.00		
4. Total	219068.9	242958.6	242000.7		

CENTRAL GOVERNMENT

Account 4 : Changes in Financial Assets: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

Account 4 : Changes in Financial Assets: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(` crore)

Particulars	Outgoings	2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget	Incomings	2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget
1. Investments in shares	1. Investments in shares	27098.3	19409.4	20012.6	7. Repayment of loans	12495.4	10885.4	10752.8
1.1 Of Government concerns	1.1 Of Government concerns	26984.0	19301.4	19081.0	7.1 By States and Union Territories	10119.3	9035.2	9272.0
(a) Financial concerns	(a) Financial concerns	16100.2	8950.2	9270.3	7.2 By others	2376.1	1850.2	1480.8
(b) Others	(b) Others	10883.8	10351.2	9810.7				
1.2 Of other concerns	1.2 Of other concerns	114.4	108.0	931.6				
2. Loans for capital formation	2. Loans for capital formation	6190.7	5929.8	7324.5	8. Disinvestment in shares	29367.9	31353.3	69500.0
2.1 To States and Union Territories	2.1 To States and Union Territories	3.0	0.9	1.5	9. Balance: Net increase in Financial Assets	2688.7	5420.7	(-)33441.5
2.2 To local authorities	2.2 To local authorities	4632.7	4351.4	5860.0				
2.3 To non-departmental commercial undertakings	2.3 To non-departmental commercial undertakings	1530.4	1246.0	1058.5				
(a) Financial concerns	(a) Financial concerns	0.0	0.0	0.0				
(b) Others	(b) Others	1530.4	1246.0	1058.5				
2.4 To others	2.4 To others	24.7	331.5	404.4				
3. Other loans	3. Other loans	13006.9	15905.3	16787.2				
3.1 To States and Union Territories	3.1 To States and Union Territories	11087.1	12020.3	12577.1				
3.2 To local authorities	3.2 To local authorities	0.00	0.00	0.00				
3.3 To non-departmental commercial undertakings	3.3 To non-departmental commercial undertakings	420.2	806.9	954.5				
3.4 To foreign governments	3.4 To foreign governments	1624.6	2411.6	3398.8				
3.5 To others	3.5 To others	(-)124.9	666.5	(-)143.2				
4. Subscription to International Financial Organisations	4. Subscription to International Financial Organisations	(-)1743.9	6414.8	2687.0				
5. Net purchase of domestic gold and silver	5. Net purchase of domestic gold and silver	0.0	0.0	0.0				
6. Total	6. Total	44552.0	47659.4	46811.3	10. Total	44552.0	47659.4	46811.3

CENTRAL GOVERNMENT

Account 5 : Changes in Financial Liabilities : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

Account 5 : Changes in Financial Liabilities : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(` crore)

Particulars	Outgoings	2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget	Incomings	2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget
1. Repayment of market loans	1. Repayment of market loans	141596.1	177078.2	193594.5	5. Market loans	595147.0	624000.0	650000.0
2. Repayment of external debt	2. Repayment of external debt	18124.3	20702.0	23200.0	6. External debt	25416.2	30407.5	34373.4
3. Balance: Net increase in Financial Liabilities	3. Balance: Net increase in Financial Liabilities	475578.8	483200.4	469799.5	6.1 Special credits (net)	0.0	0.0	0.0
					6.2 Revolving Fund	0.0	0.0	0.0
					6.3 Others	25416.2	30407.5	34373.4
					7. Small Savings (NSSF) (net)	33283.1	4983.2	23836.1
					8. State Provident Funds	(-)1909.0	10787.7	11784.6
					9. Deposits of Non-Government Provident Funds (net)	0.0	0.0	0.0
					10. Treasury Bills (net)	7728.8	51168.9	30062.6
					(a) Treasury Bills (14 Days to 364 Days) (Net)	7728.8	51168.9	30062.6
					(b) Ways and Means Advances (Net)	0.0	0.0	0.0
					11. Miscellaneous capital receipts (net)	(-)24366.9	(-)40366.7	(-)63462.5
4. Total	4. Total	635299.2	680980.6	686594.0	12. Total	635299.2	680980.6	686594.0

CENTRAL GOVERNMENT

Account 6 & Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

Account 6 : Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(` Lakhs) (` crore)

Particulars	Outgoings	2013-14 Actuals	2014-15 Revised	2015-16 Budget	Incomings	2013-14 Actuals	2014-15 Revised	2015-16 Budget
1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers - Balancing item Account-3	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers - Balancing item Account-3	453719.0	462108.1	515282.2	5. Net increase in financial liabilities-Balancing item Account 5	475578.8	483200.4	469799.5
2. Net increase in financial assets-Balancing item Account 4	2. Net increase in financial assets-Balancing item Account 4	2688.7	5420.7	-33441.5	6. Decrease in cash balance	(-)19171.0	(-)15671.5	12041.4
3. Increase in cash balance	3. Increase in cash balance							
4. Total	4. Total	456407.7	467528.8	481840.7	7. Total	456407.7	467528.8	481840.7

		(₹ करोड़) (crore)		
		2013-14 अनुमानित व्यय	2014-15 संशोधित	2015-16 बजट
		Accounts	Revised	Budget
1.	व्यय पर व्यय (B) पर व्यय			
(?)	व्यय			
(?)	व्यय			
2.	व्यय पर व्यय + व्यय + व्यय पर व्यय (B) पर व्यय			
3.	व्यय पर व्यय (1+2)			
1.	Expenditure on general services	278926	307027	339335
i)	Defence	203155	221969	246296
ii)	Others	75772	85058	93040
2.	Expenditure on Social and Economic services	27972	28811	33941
3.	Total Consumption expenditure(1+2)	306898	335838	373276

+ÉxiÉ®hÉ +ÉnÉªÉÉÉªÉÉÉ

[illegible]

Transfer Payments

20. Of the total transfer payments estimated at ₹ 11,82,870 crore for 2015-16, transfers intended for social and economic services accounts for 42.2 per cent, interest payments 37.5 per cent. The table below gives the details of this functional break down.

~~Existence of Transfer Payments~~

		2013-14 2013-14 Accounts	2014-15 2014-15 Revised	2015-16 2015-16 Budget
I. Transfer for social and economic services (current and capital)	I. Transfer for social and economic services (current and capital)	491080	479254	498752
of which:	of which:			
1. Grants to States and Union Territories for:	1. Grants to States and Union Territories for:			
i) Block Plan Grants	i) Block Plan Grants	75784	57234	24639
ii) Family Welfare Programme	ii) Family Welfare Programme	6578	5080	21597
2. Subsidy:	2. Subsidy:			
i) Assistance for export promotion and market development schemes	i) Assistance for export promotion and market development schemes	1000	1475	1625
ii) Fertilizer subsidy	ii) Fertilizer subsidy	65613	67971	72970
iii) Petroleum subsidy	iii) Petroleum subsidy	96880	85480	63427
iii) Others	iii) Others	19320	31284	4729
II. Other Transfers	II. Other Transfers	593494	686647	684118
1. Current:	1. Current:	584013	679303	676972
i) Interest payments	i) Interest payments	365126	400841	443966
ii) Statutory and non-developmental grants to States and Union Territories	ii) Statutory and non-developmental grants to States and Union Territories	44700	45759	557
iii) Food subsidy	iii) Food subsidy	85000	92000	115000
iv) Others	iv) Others	89187	140703	117419
2. Capital	2. Capital	9481	7343	7146
III. Total Transfers (I+II)	III. Total Transfers (I+II)	1084574	1165901	1182870

✠EVÉ] EÖÉ °ÉÁÉÉvÉxÉÉä°ÉäÉÜÉÉÖÉKÉäÉÉÉ

[illegible]

Capital formation out of the Budgetary Resources

21. Capital formation is estimated at ` 2,62,778 crore for 2015-16 (BE) compared to ` 2,58,357 crore in 2014-15 (RE) and ` 2,43,113 crore in 2013-14. The following table indicates a detailed functional allocation of the provision for capital formation for 2015-16 (BE), 2014-15 (RE) and 2013-14 (Accounts).

([^] BEE® ¹/₂) ([^] crore)

	2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget
1. Gross Fixed Capital Formation	72061	82420	106386
i) Social Services	3288	3315	6532
ii) Economic Services	58246	66538	80582
a) Agriculture	464	985	690
b) Industry	3955	4381	5554
c) Transport and Communications	49294	56590	67170
d) Others	4532	4583	7168
iii) General Services and unallocable items	10528	12567	19272
2. Changes in works stores	3114	2500	2884
3. Financial Assistance	167937	173437	153509
A. Financial assistance to States and Union Territories	51336	117673	89158
i) Social and Economic Services	45242	101563	86693
ii) General Services and unallocable items	6094	16110	2465
B. Financial assistance to non-departmental undertakings and other parties	116600	55763	64351
i) Social Services	70016	20433	23111
ii) Economic Services	39979	29770	34505
a) Agriculture	1306	3113	4413
b) Industry	9815	11187	13960
c) Transport and Communications	12455	6767	5727
d) Others	16403	8704	10406
iii) General Services and unallocable items	6606	5560	6735
4. Total Provision for Capital formation (1+2+3)	243113	258357	262778

የፎክሎር ምሳሌ የፎክሎር ፈጣሪ ምሳሌ = (ፎክሎር ምሳሌ) ምሳሌ የፎክሎር ምሳሌ

Surplus of current revenues available for financing development

[illegible]

22. The surplus of current revenues over the current non-developmental expenditure measures the contribution of current revenues towards financing the Government's developmental expenditure, both current and capital. This surplus is estimated at ` 1,31,466 crore for 2015-16 (BE) as compared with the surplus of ` 1,38,007 crore for 2014-15 (RE) and ` 1,46,136 crores for 2013-14. The table below sets forth the details.

BEIP of BEE BEE + EEE/EEE Surplus of the Central Government

(₹ 100 Crores) (₹ crore)

		2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget
1. $\text{Total current revenues of Government Administration}$	1. Total current revenues of Government Administration	1001845	1114827	1129496
2. $\text{Non-Developmental Consumption Expenditure-General Services}$	2. Non-Developmental Consumption Expenditure-General Services	278926	307027	339335
3. $\text{Non-Developmental Current Transfers}$	3. Non-Developmental Current Transfers	584013	679303	676972
i) General Services	i) General Services	8397	16863	21423
ii) Unallocable	ii) Unallocable	575616	662440	655549
4. $\text{Surplus of the Government Administration (1-2-3)}$	4. Surplus of the Government Administration (1-2-3)	138906	128497	113189
5. $\text{Gross Savings of the Departmental Undertakings}$	5. Gross Savings of the Departmental Undertakings	7230	9511	18277
6. Total Surplus (4+5)	6. Total Surplus (4+5)	146136	138007	131466

The following two tables summarize the expenditure by economic and functional classification, rate of growth over previous year and point contribution.

Table 1:Expenditure by Economic Classification

		2013-14 Accounts	2014-15 Revised	2015-16 Budget
		(₹ crore)		
कुल व्यय	Total expenditure	1511200	1634218	1712127
i) गROSS CAPITAL FORMATION	i) Gross capital formation	243113	258357	262778
ii) CONSUMPTION EXPENDITURE	ii) Consumption expenditure	306898	335838	373276
iii) CURRENT TRANSFERS	iii) Current transfers	940445	1010460	1049553
iv) OTHERS	iv) Others	20744	29563	26520
		(% n) (Growth rate)		
कुल व्यय	Total expenditure	9.9	8.1	4.8
i) गROSS CAPITAL FORMATION	i) Gross capital formation	5.3	6.3	1.7
ii) CONSUMPTION EXPENDITURE	ii) Consumption expenditure	13.2	9.4	11.1
iii) CURRENT TRANSFERS	iii) Current transfers	10.5	7.4	3.9
iv) OTHERS	iv) Others	(-)4.1	42.5	(-)10.3
		(POINT CONTRIBUTION) (Point contribution*)		
कुल व्यय	Total expenditure	9.9	8.1	4.8
i) गROSS CAPITAL FORMATION	i) Gross capital formation	0.9	1.0	0.3
ii) CONSUMPTION EXPENDITURE	ii) Consumption expenditure	2.6	1.9	2.3
iii) CURRENT TRANSFERS	iii) Current transfers	6.5	4.6	2.4
iv) OTHERS	iv) Others	(-)0.1	0.6	(-)0.2

* *Point contribution refers to contribution of individual component to total growth.*

As shown in Table 1, total expenditure of the Union Government increased by 4.8 per cent in 2015-16 (BE) over 2014-15 (RE). Table 2 gives the details in terms of expenditure by functional classification.

सारणी 2 : कार्यात्मक शीर्ष के अनुसार व्यय
Table 2: Expenditure by Functional Head

		2013-14 लेखा विवरण Accounts	2014-15 संशोधित Revised	2015-16 बजट Budget
		(₹ करोड़) (₹ crore)		
कुल व्यय	Total Expenditure	1511200	1634218	1712127
i) सामाजिक सेवाएं	i). Social Services	204627	227630	311706
ii) आर्थिक सेवाएं	ii). Economic Services	410633	379011	337747
iii) सामान्य सेवाएं	iii). General Services	316743	364987	407678
iv) अनावंटनीय	iv). Unallocable	579197	662591	654997
		(वृद्धि दर) (Growth rate)		
कुल व्यय	Total Expenditure	9.9	8.1	4.8
i) सामाजिक सेवाएं	i). Social Services	12.5	11.2	36.9
ii) आर्थिक सेवाएं	ii). Economic Services	3.7	(-)7.7	(-)10.9
iii) सामान्य सेवाएं	iii). General Services	7.8	15.2	11.7
iv) अनावंटनीय	iv). Unallocable	15.2	14.4	(-)1.1
		(प्रतिशत अंशदान*) (Point contribution*)		
कुल व्यय	Total Expenditure	9.9	8.1	4.8
i) सामाजिक सेवाएं	i). Social Services	1.7	1.5	5.1
ii) आर्थिक सेवाएं	ii). Economic Services	1.1	(-)2.1	(-)2.5
iii) सामान्य सेवाएं	iii). General Services	1.7	3.2	2.6
iv) अनावंटनीय	iv). Unallocable	5.5	5.5	(-)0.5

* प्रतिशत-अंशदान का संबंध कुल विकास में व्यक्ति घटक के अंशदान से है।

* Point contribution refers to contribution of individual component to total growth.

आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण:
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION:

आर्थिक Economic	कार्यात्मक Functional	सामान्य सेवाएं General Services		
		रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion
		3	4	5
1	2			
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	75771.8	203154.6	1056.6
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	8396.7	...	40702.0
(i) ब्याज	(i) Interest
(ii) अनुदान	(ii) Grants	5722.6	...	40271.9
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	4344.8	...	12875.6
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	0.2	...	101.7
(ग) अन्य को	(c) To others	1377.7	...	27294.6
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other current Transfers	2674.1	...	430.1
(क) सब्सिडी	(a) Subsidies	2610.7
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief
(ख) पेंशन	(c) Pensions
(ग) अन्य	(d) Others	63.3	...	430.1
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	10534.9	...	140.3
(i) सकल अचल पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	10528.0	...	140.3
(ii) भंडार	(ii) Stocks	6.9
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	5982.3	...	15772.5
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	5982.3	...	15772.5
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	1390.2	...	1551.1
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertaking
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	13.0
(घ) अन्य को	(d) To Others	4592.0	...	14208.3
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	2014.0
(i) सरकारी कंपनियों का	(i) Of Government Companies	2014.0
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others	2014.0
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	3.0
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	3.0
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iii) To Local Authorities
(iv) अन्य को	(iv) To others
7. अन्य उधार	7. Other loans	12629.7
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	11005.1
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To foreign Governments	1624.6
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities
(v) अन्य को	(v) To others
8. अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	(-)1743.9
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold & Silver
	Total	113588.4	203154.6	57671.4

2013-14 (वास्तविक)
2013-14(ACTUAL)

(₹ करोड़) (₹ crore)

सामाजिक और आर्थिक सेवाएं
 Social and Economic Services

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
4621.8	7420.6	4143.7	4123.8	2239.2	4366.1	306898.3
20999.2	49936.0	99208.5	97837.2	9959.3	10580.7	37892.2	564933.4	940445.2
...	365125.7	365125.7
20992.5	48871.0	25419.8	8046.0	4852.1	6542.1	37892.2	44701.0	243311.1
5889.7	28287.9	8299.9	65.2	39.5	390.5	37892.2	44700.2	142785.5
29.1	163.5	11.3	57.2	79.0	27.9	469.7
15073.7	20419.6	17108.6	7923.6	4733.7	6123.8	...	0.8	100056.0
6.7	1065.0	73788.7	89791.3	5107.2	4038.6	...	155106.8	332008.4
...	193.0	73788.4	89764.7	5107.2	4030.7	...	92318.3	267813.0
...
...	62730.7	62730.7
6.7	872.0	0.3	26.6	...	7.9	...	57.7	1464.7
1451.8	1699.7	523.4	6700.8	49357.4	4531.6	74939.9
1451.8	1695.8	464.1	3955.4	49058.4	4531.6	71825.4
...	4.0	59.3	2745.4	298.9	3114.5
3046.1	52030.3	1286.4	6376.7	6339.0	1221.8	37892.2	14181.8	144129.0
3046.1	52030.3	1286.4	6376.7	6339.0	1221.8	37892.2	4700.4	134647.7
6.7	5159.8	8.0	4.4	620.2	...	37892.2	4700.4	51333.2
...
...	47.1	13.6	58.9	57.7	8.3	198.5
3039.4	46823.5	1264.8	6313.4	5661.2	1213.5	83116.0
...	9481.4	9481.4
...	1251.6	3.3	1962.5	6685.8	15181.1	27098.3
...	1251.6	3.0	1848.5	6685.8	15181.0	26984.0
...	0.2	...	1100.0	...	15000.0	16100.2
...	1251.4	3.0	748.5	6685.8	181.0	10883.8
...	...	0.3	114.0	...	0.1	114.4
...	4632.7	24.7	1480.4	50.0	6190.7
...	3.0
...	1480.4	50.0	1530.4
...
...	1480.4	50.0	1530.4
...	4632.7	4632.7
...	...	24.7	24.7
...	(-133.9)	1.3	408.8	11.9	7.2	...	81.4	13006.9
...	82.0	11087.1
...	408.3	11.9	420.2
...	(-)0.6	1624.6
...
...	(-133.9)	1.3	0.5	...	7.2	(-124.9)
...	(-1743.9)
...
30118.8	116837.0	105191.3	118890.2	74642.6	35888.5	75784.4	579196.6	1510964.4

आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण:
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION:

आर्थिक 1	कार्यात्मक Functional 2	सामान्य सेवाएं General Services		
		रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion
		3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	85057.6	221969.5	1185.8
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	16863.2	...	40421.5
(i) ब्याज	(i) Interest
(ii) अनुदान	(ii) Grants	16116.2	...	39935.7
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	14481.3	...	30790.5
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	0.1	...	137.4
(ग) अन्य को	(c) To others	1634.8	...	9007.9
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other current Transfers	747.0	...	485.8
(क) सब्सिडी	(a) Subsidies	649.1
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief
(ख) पेंशन	(c) Pensions
(ग) अन्य	(d) Others	97.9	...	485.8
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	12518.7	...	147.4
(i) सकल अचल पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	12567.2	...	147.4
(ii) भंडार	(ii) Stocks	(-)48.5
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	7264.9	...	13411.3
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	7264.9	...	13411.3
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	2385.6	...	5660.9
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertakings
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	14.8
(घ) अन्य को	(d) To Others	4879.3	...	7735.7
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	681.1
(i) सरकारी कंपनियों का	(i) Of Government Companies	581.1
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others	581.1
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	100.0
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	0.9
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	0.9
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iii) To Local Authorities
(iv) अन्य को	(iv) To others
7. अन्य उधार	7. Other loans	14216.6
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	11805.0
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To foreign Governments	2411.6
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities
(v) अन्य को	(v) To others
8. अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	6414.8
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold & Silver
	Total	143017.9	221969.5	55166.1

2014-15 (संशोधित अनुमान)**2014-15 (REVISED ESTIMATES)**

(₹ करोड़) (₹ crore)

सामाजिक और आर्थिक सेवाएं
Social and Economic Services

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
4905.8	7945.3	2518.5	4431.8	2808.9	5015.0	335838.1
21337.7	59325.7	108241.7	73788.2	10223.9	10189.9	28617.0	641451.4	1010460.1
...	400841.4	400841.4
21320.8	57243.2	26863.1	10585.8	4576.3	6475.0	28617.0	45760.3	257493.4
16187.4	44513.6	19381.5	2020.7	4271.5	228.0	28617.0	45758.8	206250.3
28.8	176.7	13.8	7.7	66.2	31.6	462.2
5104.5	12553.0	7467.8	8557.4	238.6	6215.4	...	1.5	50781.0
16.9	2082.5	81378.6	63202.3	5647.5	3714.8	...	194849.7	352125.3
10.1	310.0	81378.0	63184.6	5647.5	3705.3	...	123325.8	278210.4
...
...	71477.1	71477.1
6.8	1772.5	0.7	17.8	...	9.5	...	46.8	2437.8
1234.1	1936.6	1027.0	7090.5	58980.7	4582.7	87517.8
1234.1	1933.2	984.7	4381.0	59187.8	4582.7	85018.2
...	3.4	42.3	2709.5	(-)207.1	2499.6
2897.8	66046.9	6094.6	7493.9	806.6	1740.8	28617.0	21067.1	155440.8
2897.8	66046.9	6094.6	7493.9	806.6	1740.8	28617.0	13723.8	148097.5
1381.2	61845.1	3079.1	118.3	446.6	414.8	28617.0	13723.8	117672.4
...
...	48.3	14.1	11.9	58.9	9.1	157.0
1516.6	4153.6	3001.4	7363.7	301.0	1316.8	30268.0
...	7343.4	7343.4
40.0	2573.1	87.2	2296.4	6356.6	7375.2	19409.4
40.0	2573.1	86.8	2289.4	6356.6	7374.5	19301.4
...	0.2	...	1960.0	...	6990.0	8950.2
40.0	2572.9	86.8	329.4	6356.6	384.5	10351.2
...	...	0.3	7.0	...	0.7	108.0
...	4351.4	10.0	1515.0	50.0	2.5	5929.8
...	0.9
...	1196.0	50.0	1246.0
...
...	1196.0	50.0	1246.0
...	4351.4	4351.4
...	...	10.0	319.0	...	2.5	331.5
...	(-)130.9	694.4	739.0	213.7	0.6	...	72.0	15905.3
...	41.5	1.8	72.0	12020.3
...	593.2	213.7	806.9
...	2411.6
...
...	(-)172.4	692.6	145.8	...	0.6	666.5
...	6414.8
...
30415.3	142048.2	118673.3	97354.6	79440.3	28906.6	57234.0	662590.5	1636916.2

आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण:
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION:

आर्थिक Economic	कार्यात्मक Functional	सामान्य सेवाएं General Services		
		रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion
		3	4	5
1	2			
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	93039.6	246295.8	1512.0
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	21423.0	...	117039.7
(i) ब्याज	(i) Interest
(ii) अनुदान	(ii) Grants	18563.7	...	116478.3
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	16919.5	...	108415.0
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	0.2	...	71.5
(ग) अन्य को	(c) To others	1644.0	...	7991.9
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other current Transfers	2859.4	...	561.4
(क) सब्सिडी	(a) Subsidies	2764.3
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief
(ख) पेंशन	(c) Pensions
(ग) अन्य	(d) Others	95.1	...	561.4
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	19228.8	...	240.6
(i) सकल अचल पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	19272.1	...	240.6
(ii) भंडार	(ii) Stocks	(-)43.3
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	7769.6	...	13294.6
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	7769.6	...	13294.6
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States & UTs	2463.1	...	5674.8
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertakings
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	18.9
(घ) अन्य को	(d) To Others	5306.5	...	7600.9
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	1428.4
(i) सरकारी कंपनियों का	(i) Of Government Companies	498.4
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others	498.4
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	930.0
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	1.5
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	1.5
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns
(ख) अन्य	(b) Others
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iii) To Local Authorities
(iv) अन्य को	(iv) To others
7. अन्य उधार	7. Other loans	15803.8
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States & UTs	12405.0
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental commercial undertakings
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To foreign Governments	3398.8
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities
(v) अन्य को	(v) To others
8. अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	2687.0
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold & Silver
	Total	161381.8	246295.8	132086.9

2015-16 (बजट अनुमान)**2015-16 (BUDGET ESTIMATES)**

(₹ करोड़) (₹ crore)

सामाजिक और आर्थिक सेवाएं
Social and Economic Services

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
5263.2	12632.2	2414.3	4669.7	2526.2	4923.3	373276.4
22209.6	51487.1	110015.7	43887.1	11547.4	11844.1	12319.5	647779.5	1049552.7
...	443995.8	443995.8
22172.4	47878.9	23010.3	11442.3	5297.5	8111.9	12319.5	559.9	265834.7
16244.5	33127.2	14874.8	1582.3	4222.7	153.2	12319.5	557.0	208415.7
12.3	230.4	14.3	8.3	98.5	36.3	471.6
5915.5	14521.4	8121.3	9851.7	976.3	7922.4	...	2.9	56947.4
37.3	3608.2	87005.3	32444.8	6249.9	3732.2	...	203223.8	339722.2
27.7	560.3	87003.9	32420.1	6249.9	3724.1	...	125001.0	257751.3
...
...	78176.0	78176.0
9.5	3047.9	1.5	24.7	...	8.0	...	46.8	3795.0
1181.0	5114.0	742.2	8457.9	66550.7	7168.2	108683.4
1181.0	5110.5	689.9	5553.7	66583.9	7168.2	105799.7
...	3.5	52.4	2904.3	-33.2	2883.7
2994.1	69845.6	6046.6	10583.3	1048.7	2269.4	12319.5	7145.9	133317.3
2994.1	69845.6	6046.6	10583.3	1048.7	2269.4	12319.5	...	126171.4
777.6	65635.2	1731.1	...	555.0	...	12319.5	...	89156.3
...
...	55.5	14.1	10.5	66.9	9.1	175.0
2216.5	4154.9	4301.4	10572.8	426.8	2260.3	36840.2
...	7145.9	7145.9
65.1	3138.7	85.3	1925.5	5232.8	8136.8	20012.6
65.1	3138.7	85.0	1925.0	5232.8	8136.0	19081.0
...	0.7	...	1329.6	...	7940.0	9270.3
65.1	3138.0	85.0	595.4	5232.8	196.0	9810.7
...	...	0.3	0.5	...	0.8	931.6
...	5860.0	12.0	1451.0	7324.5
...	1.5
...	1058.5	1058.5
...
...	1058.5	1058.5
...	5860.0	5860.0
...	...	12.0	392.4	404.4
...	(-171.9)	19.1	942.6	12.7	8.9	...	72.1	16787.2
...	...	0.1	72.0	12577.1
...	941.8	12.7	954.5
...	0.1	3398.8
...
...	(-171.9)	19.0	0.8	...	8.9	(-143.2)
...	2687.0
...
31712.9	147905.8	119335.2	71917.2	86918.5	34350.7	24639.0	654997.4	1711641.1

केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और
कार्यात्मक वर्गीकरण में मदों की परिभाषा और
उनकी व्युत्पत्ति पर टिप्पणियां

क. आर्थिक वर्गीकरण

इस पुस्तिका में प्रस्तुत आर्थिक वर्गीकरण का ढांचा 6 विवरणों (खातों) के एक सेट में केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों की रूपरेखा पर आधारित है। इन विवरणों में प्रत्येक विवरण की व्युत्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण 1: वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण: सरकारी प्रशासन का चालू खाता

इस विवरण का संबंध व्यय पक्ष में सरकार के खपत संबंधी व्यय और चालू अन्तरण अदायगियों से है: प्राप्ति पक्ष में, इस विवरण में कर-प्राप्तियों, सरकारी सम्पत्ति और उद्यमों से आय और शुल्क तथा विविध प्राप्ति को दिखाया जाता है। खपत संबंधी व्यय से चालू राजस्व के आधिक्य से उत्पन्न शेष तथा चालू अन्तरण अदायगियां केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बचत की सूचक होती है और वाणिज्यिक उपक्रमों की बचतों को मिलाकर यह पूंजी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की बचत की द्योतक होती है।

मद 1: खपत संबंधी व्यय: सरकार के खपत संबंधी व्यय में कर्मचारियों को अदा की गई मजदूरी और वेतन तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर हुआ चालू व्यय शामिल है। इससे सरकार के मौजूदा विकास संबंधी तथा विकास-भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं और गए अन्य तत्वों की उपलब्ध मात्रा के मूल्य का पता चलता है।

मद 1.1: मजदूरी और वेतन: यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई मजदूरी और वेतन के रूप में उत्पन्न आय के अनुमानों की द्योतक है। असैनिक विभागों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों (जिनमें मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी शामिल है, परन्तु यात्रा भत्ते शामिल नहीं हैं) और मानदेय के रूप में वास्तविक अदायगियों के अलावा, इस मद में रक्षा कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, जिसमें किट और वस्त्र भत्ता तथा रक्षा कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला अन्न भी शामिल है, रक्षा पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन का घटक और 'मरम्मत और अनुरक्षण' तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा रखे गए नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी की अदायगियां भी शामिल हैं। रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन घटक का अनुमान लगाते समय निर्माण-कार्यों के व्यय के एक तिहाई भाग को मजदूरी और वेतन माना जाता है और दो-तिहाई भाग को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर होने वाला व्यय माना जाता है। 'मरम्मत और अनुरक्षण' तथा 'एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत व्यय को 50:50 के अनुपात में मजदूरी और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि आवश्यक आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

मद 1.2: वस्तुएं और सेवाएं: इस में "अन्य प्रभार," शीर्षक के अधीन होने वाले व्यय शामिल हैं। बजट में की गई 'एकमुश्त व्यवस्था' को वस्तुओं और सेवाओं तथा मजदूरी और वेतन में 50:50 के अनुपात में बांट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाने वाला अंशदान और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को इसी प्रकार की जाने वाली अदायगियों को सेवाओं की खरीद के रूप में मान लिया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय को चालू व्यय के रूप में मान लिया जाता है। निर्माण-कार्यों पर हुए व्यय के एक-तिहाई अंश को छोड़कर, जिसे मजदूरी और वेतन माना जाता है, रक्षा पर पूंजी परिव्यय की बाकी राशि यहां दिखाई जाती है।

Notes on definition and derivation of items in the
Economic-cum-Functional Classification of the
Central Government Budget

A. Economic Classification

The framework of economic classification presented in the brochure is based on the delineation of Central Government transactions in a set of six accounts. The following is briefly a description of the derivation of items in each of these accounts.

Account 1: Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Government Administration

This account is concerned, on the expenditure side, with the Government's consumption expenditure and current transfer payments; on receipt side, it indicates tax receipts, income from Government property and enterprises and fees and miscellaneous receipts. The surplus arising out of the excess of current revenue over expenditure on consumption and current transfer payment denotes the saving of the Central Government administration and together with savings of the commercial undertakings constitutes the saving of the Central Government available for capital formation.

Item 1: Consumption Expenditure: The Government's consumption expenditure comprises wages and salaries paid to employees and current expenditure incurred on purchases of commodities and services. This indicates the value of the available supplies of goods and factors drawn into the Government's current use, for developmental as well as non-developmental purposes.

Item 1.1: Wages and Salaries: This denotes the estimates of income generated in the form of wages and salaries paid by the Central Government. Besides actual payments by the civil departments in the form of pay of officers and staff, allowances (including dearness allowance and city compensatory allowance but excluding travelling allowances) and honoraria, this item includes wages and salaries of the defence personnel including kit and clothing allowance and foodgrains provided to defence personnel, wages and salaries component of defence capital outlay and of 'repairs and maintenance' and also wage payments to casual labour employed by administrative departments. In estimating the wages and salaries component of defence capital outlay, one-third of the works expenditure is treated as wages and salaries and two-thirds as purchase of commodities and services. The expenditure under 'repairs and maintenance' as well as under 'lump sum provision' has been allocated in the ratio of 50:50 between wages and salaries and purchase of commodities and services since the required breakup is not available.

Item 1.2: Commodities and Services: This includes expenditures under the head 'other charges'. 'Lump sum provisions' in the budget have been broken down into expenditure on commodities and services and wages and salaries in the ratio of 50:50. Contributions to the U.N. and similar payments to other international organisations are treated as purchases of services. Also in conformity with the accepted procedure of national income estimation, defence capital outlay has been treated as current expenditure. Except for one-third of the works expenditure which is treated as wages and salaries, the rest of capital outlay on defence appears here.

मद 2: अन्तरण अदायगियां: ये व्यय माल और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग के द्योतक नहीं होते, ये तो अन्य मदों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केवल अन्तरणों के रूप में होते हैं। वर्तमान विश्लेषण में चालू अन्तरणों और पूंजीगत अन्तरणों में अन्तर की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि जहां चालू अन्तरणों से प्राप्तिकर्ताओं के आय खातों में रकमों की वृद्धि हो जाती है, वहीं पूंजीगत अन्तरणों का उद्देश्य पूंजीगत व्यय में सहायता देना होता है। यहां केवल चालू अन्तरणों को दिखाया गया है। इनमें ब्याज की अदायगियां, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकरणों और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को चालू अनुदान, आर्थिक सहायता, पेंशन और अन्यो को अन्तरण अदायगियां शामिल हैं।

मद 2.1: राष्ट्रीय कर्ज पर ब्याज की अदायगी को कई बार सरकार की चालू (अन्तरण) प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया जाता है, परन्तु इन अदायगियों को यहां सकल रूप में दिखाया गया है। ब्याज में राष्ट्रीय कर्जों पर ब्याज भी शामिल है परन्तु इसमें विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज शामिल नहीं है। वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज को विवरण 2 में, जो इन उपक्रमों का चालू खाता है, दिखाया गया है।

मद 2.2: अनुदानों में सांविधिक अनुदान तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अन्य आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुदान शामिल हैं, पर इसमें ये अनुदान शामिल नहीं हैं, जिनका उद्देश्य पूंजी निर्माण में सहायता पहुंचाना है (जैसे, ग्रामीण निर्माण कार्य, भूमि-संरक्षण, वन, लघु सिंचाई आदि के लिए अनुदान)। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर किया जाने वाला व्यय भी, जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया गया है, यहां दिखाया गया है। चौथी आयोजना के शुरु से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त अनुदानों और एकमुश्त ऋणों के रूप में दी जा रही है। इस विश्लेषण में एकमुश्त अनुदानों को चालू और पूंजीगत अनुदानों के बीच 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। उप-मद "अन्य को अनुदान" में मुख्यतः संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं और इन संस्थाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भी शामिल हैं।

मद 2.3: अन्य चालू अन्तरणों में ये शामिल हैं: आर्थिक सहायता, असैनिक और सैनिक पेंशन और व्यक्तियों को किए गए अन्य चालू अन्तरण जैसे छात्रवृत्तियां, वृत्तिकार्य, इनाम, अकाल और अन्य राहत अदायगियां। इस मद में प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ राहत व्यय (राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किए गए व्यय से भिन्न) भी शामिल है। इस वर्गीकरण में पेंशन संबंधी अदायगियों को अन्तरण अदायगी के रूप में माना गया है। यद्यपि पेंशन को एक आस्थगित वेतन के रूप में माना जा सकता है, परन्तु पेंशनों को अन्तरण के रूप में मानना इस आधार पर सरल और तर्कसंगत है कि पेंशन लेने वाले सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अर्थव्यवस्था के चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है।

मद 6: सरकार की चालू और पूंजी खाते की अंतरण प्राप्तियों (अर्थात् करों) के बीच का अन्तर चालू और पूंजी खाते की अन्तरण अदायगियों के बीच के अंतर की तरह, इस परिकल्पना पर आधारित है कि सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियां आय में से की गई अदायगियां हैं जबकि पूंजीगत प्राप्तियां पूंजी में से की गई अदायगियां होती हैं। इस भिन्नता के आधार पर संपदा-शुल्क और दान-कर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माने जाते थे और इन्हें 1982-83 तक यहां पर नहीं दिखाया जाता था। तथापि, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रह और राष्ट्रीय लेखों के संकलन और विश्लेषण की सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार यह भेद राजकोषीय वर्ष 1983-84 (लेख) से समाप्त कर दिया गया है।

Item 2: Transfer Payments: These expenditures do not involve direct demand on goods and services; they are of the nature of mere transfers intended to add to incomes of others. In the present analysis, a distinction has been drawn between current transfers and capital transfers on the hypothesis that while current transfers supplement the income accounts of recipients, capital transfers are intended to assist capital expenditure. Current transfers alone appear here; these comprise interest payments, current grants to States, Union Territories, local authorities and non-profit making institutions, subsidies, pensions and transfer payments to others.

Item 2.1 : Interest Payments on the national debt are sometimes treated as a deduction from the current (transfer) receipts of Government, but these payments have been shown here on a gross basis. Interest comprises interest on the national debt excluding interest charged to departmental commercial undertakings. Interest charged to departmental commercial undertakings appear in Account 2, the current account of these undertakings.

Item 2.2: Grants include statutory grants, as well as all other non-plan and plan grants to States and Union Territories excepting those which are intended to assist capital formation (e.g. grants for rural works, soil conservation, forests, minor irrigation etc.). The expenditure on rehabilitation of displaced persons routed through State Governments and Union Territories also appears here. Starting with the Fourth Plan, the Central assistance to States and Union Territories is being given in the form of block grants and block loans; in this analysis, block grants have been allocated between current and capital grants in the ratio of 50:50. The sub-item 'grants to others' comprises grants mainly to institutions and these include grants to public sector institutions, like Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, and University Grants Commission.

Item 2.3: Other current transfers include subsidies, pensions-civil and defence and other current transfers to individuals like scholarships, stipends, prizes, famine and other relief payments. This item also includes relief expenditure (i.e. other than that routed through State Governments and Union Territories) incurred directly on displaced persons. Pension payments have been treated in the present classification as a transfer payment. While an alternative treatment of pensions as deferred pay is possible, the treatment of pensions as transfers is simpler and justifiable on the ground that no increase in current output accrues to the economy from retired personnel receiving pensions.

Item 6: The distinction between transfer receipts (i.e. taxes) of Government on current and capital account - like the distinction between transfer payments on current and capital account - rests on the hypothesis that Government's current transfer receipts constitute payments out of income, while capital receipts constitute payments out of capital. Based on this distinction, estate duty and gift tax were treated as capital receipts and did not appear here until 1982-83. However, following the recommendations made by the Advisory Committee on collection of data for National Income and Compilation and Analysis of National Accounts, this distinction has been done away with starting from the fiscal year 1983-84 (Accounts).

यहां दर्शायी गई करें की प्राप्तियां राज्यों के हिस्से और स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करें को घटा कर दिखाई गई हैं।

आय और सम्पत्ति पर करें में आयकर, निगम कर, धन-कर, संपदा शुल्क, दान-कर और भू-राजस्व (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज प्राप्तिओं पर कर शामिल हैं। वस्तुओं और लेन देनों पर कर में संघ उत्पाद शुल्क, (जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है) सीमा शुल्क, वस्तुओं पर उपकर और विदेश यात्रा पर कर और बिक्री कर, पंजीकरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) भी शामिल है।

मद 7: सम्पत्ति और उद्यमों से आय: इस मद में, प्रशासन को अन्तरित विभागीय और गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ और भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ शामिल हैं। इसमें शामिल ब्याज की प्राप्तियां मुख्यतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज की है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन उपक्रमों पर भारित ब्याज विवरण 2 में दिखाई गई व्यय की मद है, विवरण 1 में नहीं। 'अन्यों' में किराये की प्राप्ति और लोक निर्माण कार्यों से प्राप्तियां और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल और गैस पर देय रायल्टी भी शामिल है।

मद 8: फीस और विविध प्राप्तियां: इनमें वाणिज्यिक आधार पर संगठित न की गई फीस हेतु दी गई सेवाओं के लिए सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्राप्तियां शामिल हैं।

विवरण 2: वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन तथा अन्तरण: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य जो बजट में दिखाये गये हैं, सरकार की उद्यमकारी गतिविधियों के रूप में हैं। इन उपक्रमों के चालू व्यय उत्पादनशील उद्यमों के कार्यचालन व्यय के समान उस मध्यवर्ती व्यय के द्योतक है जो माल तथा सेवाओं के मूल्यों में शामिल किए जाते हैं और जिन्हें अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को बेचा जाता है। अतः वह प्रशासनिक विभागों के अन्तिम परिव्यय के रूप में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार, वाणिज्यिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय केवल प्रशासनिक विभागों की प्राप्तिओं (उदाहरणार्थ कर) से, जो उनकी अपनी आय नहीं होती है और व्यय को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों की आयों से ली जाती है, भिन्न होती है। अतः इस विवरण में सामान्यतया विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का लाभ और हानि का लेखा दिया जाता है और यह विवरण 1 के स्वरूप से भिन्न होता है।

स्वतंत्र कम्पनियों या निगमों के रूप में संचालित सरकारी उद्यमों के लेन-देनों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यहां प्रस्तुत किया गया आर्थिक वर्गीकरण अनुदानों की मांगों और बजट के विस्तार के संबंध में है। अतः यह विवरण केवल उन वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित है जो विभागीय तौर पर चलाये जा रहे हैं और इनमें ये उपक्रम शामिल हैं:- रेलवे, डाक, अफीम की फैक्टरियां और एलक्लायड के कारखाने, परिवहन योजनाएं, परमाणु बिजली घरों सहित विद्युत परियोजनाएं, वन और दिल्ली दुग्ध योजना। किन्तु 1972-73 से वर्गीकरण में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार रेल की कर्मशालाओं और उत्पादन एककों (चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटैग्रल कोच फैक्टरी) के निर्माण संबंधी कार्यों को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। वर्ष 1977-78 से लोक लेखासमिति की सिफारिशों पर रक्षा सेवा, कैन्टीन भण्डार विभाग के कार्यचालन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसके द्वारा किए गए लेन-देन बजट का एक अंग है। इसमें 1982-83 (लेखे) से प्रारम्भ करके परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यचालन को भी शामिल किया गया है और 1983-84 (लेखे) से नागर विमानन, वाणिज्यिक प्रसारण

Tax receipts shown here are net of the States' share and taxes transferred to local authorities.

Taxes on income and wealth include income tax, corporation tax, wealth tax, estate duty, gift tax, land revenue (in respect of Union Territories) and tax on interest receipts of scheduled commercial banks. Taxes on commodities and transactions include Union excise duties (excluding States' share), customs duties, cesses on commodities and tax on foreign travel and also sales tax, registration fees, stamp duties etc. (in respect of Union Territories).

Item 7: Income from property and enterprises: This item includes profits of departmental and non-departmental commercial undertakings transferred to administration as well as profits of the Reserve Bank of India. Interest receipts included here are mainly from States and Union Territories and non-departmental commercial undertakings. Interest received from departmental commercial undertakings is omitted since interest charged to these undertakings is an item of expenditure in Account 2 and not Account 1. 'Others' include rental income, receipts from public works and royalty payable by ONGC on crude oil and gas.

Item 8: Fees and miscellaneous receipts: These include administrative receipts of Government departments for services rendered for a fee not organised on a commercial basis.

Account 2: Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Departmental Commercial Undertakings

The operation of departmental commercial undertakings which figure in the budget, are of the nature of entrepreneurial activities of the Government. Current expenditure of these undertakings like working expenses of productive enterprises constitute intermediate expenditures that enter into the prices of goods and services as they are sold to other sectors of the economy. Therefore, they are different in character from final outlays by administrative departments. Likewise, sale proceeds of commercial undertakings are different from the receipts (e.g. taxes) of purely administrative departments which have no income of their own and draw upon incomes of other sectors to meet their expenditures. This account, therefore, sets out what is generally known as the profit and loss account of departmental commercial undertakings and is different in character from Account I.

The transactions of Government enterprises run as independent companies or corporations are not included in this Account, as the economic classification presented here pertains to the magnitudes in the Demands for Grants and the Budget. This account is, therefore, concerned only with those commercial undertakings which are run departmentally and include Railways, Posts, Opium factories and Alkaloid works, Transport Schemes, Power Projects including Atomic Power Stations, Forests and Delhi Milk Scheme. However, an important major change introduced since 1972-73 in the Classification relates to the inclusion of manufacturing activity of the Railway Workshops and production units (Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory). With effect from 1977-78, the working of the Defence Services Canteen Stores Department has been included as its transactions now form part of the Budget following the recommendations of the Public Accounts Committee. Starting from 1982-83 (Accounts), the working of atomic energy industrial projects and from 1983-84 (Accounts), those of Civil Aviation, commercial broadcasting service, light-houses and

सेवा, दीप स्तंभों और दीप-पोतों, और सिंचाई निर्माण कार्यों को भी वाणिज्यिक उपक्रम माना गया है।

अतः यहां यह बता देना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की उपर्युक्त सूची में, केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिए गए वाणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक किस्मों के कार्य-कलापों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह संभव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग, करेंसी नोट प्रेस और सिक्यूरिटी प्रेस की गतिविधियों जैसे कार्य-कलापों को सरकारी वाणिज्यिक कार्य-कलापों के रूप में माना जाए। किन्तु यहां पर ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी सेवाओं की अधिकांश बिक्री या तो वाणिज्यिक आधार पर नहीं की जाती या उनकी बिक्री मुख्यतः सरकारी विभागों को ही की जाती है।

इस विवरण की मदें स्वतःस्पष्ट हैं। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन खाते के व्यय पक्ष में कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (अर्थात् मजदूरी और वेतन), पेंशन अदायगियां, कच्चे माल आदि की खरीद (अर्थात् वस्तु और सेवा), मरम्मत और अनुसंधान संबंधी व्यय, इन उपक्रमों द्वारा देय ब्याज और मूल्यह्रास की व्यवस्था दिखाई जाती है। वर्ष 1979-80 से रेलवे के राजस्व में हुई कमी को उनका 'आस्थगित लाभांश दायित्व' माना जाता है और उसे उनके द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांशों में से घटा दिया जाता है। किन्तु रेलवे की सही वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए उनके पूर्ण लाभांश दायित्व को हिसाब में लिया गया है और कमी को काल्पनिक दृष्टि से रेलवे को दिया गया उधार माना गया है। प्राप्ति पक्ष उनकी समग्र बिक्री प्राप्तियां तथा विभिन्न निधियों में बकाया शेषों पर प्राप्त होने वाली ब्याज प्राप्तियां दिखाता है। इससे उत्पन्न अधिशेष के एक अंश को, उपक्रम के अंशदान के रूप में सरकारी प्रशासन के चालू खाते (विवरण 1) में अन्तर्लित कर दिया जाता है और शेष राशि को धारित लाभों के रूप में दिखाया जाता है।

सरकारी प्रशासन की बचत की राशि और विभागीय उपक्रमों के मूल्यह्रास की रकम के साथ ये धारित लाभ मिलकर सरकार की कुल बचत की राशि बन जाते हैं, जो सकल पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होती है।

विवरण 3: वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरणः सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता (सम्मिलित)

इस विवरण का संबंध, कुल पूंजी-परिव्यय से है जो प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा भौतिक परिसम्पत्ति निर्माण और पूंजीगत अन्तरणों का द्योतक है। पूंजी व्यय के संदर्भ में प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के बीच अंतर करना इस कारण सार्थक नहीं है कि पूंजी निर्माण पर किया गया समूचा व्यय अंतिम व्यय होता है जो राष्ट्रीय उत्पाद पर भारित होता है और जिसके लिए सरकार को अपनी बचतों से अथवा निजी बचतों से प्राप्त करने के संसाधन ढूंढ़ने पड़ते हैं।

सरकार द्वारा भौतिक परिसम्पत्ति निर्माण को (विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन व्यय को छोड़कर) सकल और निवल परिसम्पत्ति के निर्माण तथा तालिकागत सामान में हुई निवल वृद्धि के रूप में दिखाया गया है। पूंजीगत अन्तरणों के एक ब्यौरे का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं तथा अंतरणों में सभी लेन देनों के घाटे को विवरण 3 में सन्तुलनकारी मद के रूप में दिखाया गया है और इससे शेष अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार की निवल ऋणग्रस्तता में हुए परिवर्तन की मात्रा का पता चलता है।

मद 1.1: भवन और अन्य निर्माण कार्य में सभी रिहाइशी, कार्यालय और अन्य प्रयोजनों की इमारतें, सड़क निर्माण, रेलवे तथा डाक और तार संबंधी निर्माण कार्य, दूरसंचार, बिजली और अन्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हैं।

lightships and irrigation works are also treated as commercial undertakings.

It is important to note here that the list of departmental commercial undertakings as given above does not exhaust the activities of a commercial or semi-commercial nature, undertaken by the Central Government. It is technically possible to treat activities like those of the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Currency Note Press and Security Press as commercial activities of the Government. This has not been done here either because of the bulk of the sale of their services is not on a commercial basis or because the sale is mainly to Government Departments.

The items in this account are self-explanatory. The expenditure side of the operating account of departmental commercial undertakings spells out compensation to employees (i.e. wages and salaries), pension payments, purchases of raw materials etc. (i.e. commodities and services), expenditure on repairs and maintenance, interest charged to these undertakings and provision for depreciation. With effect from 1979-80 the shortfall in the revenues of the Railways are treated as their "deferred dividend liability" and are deducted from the dividends payable by them to general revenues. However, in order to truly reflect the financial position of the Railways, their full dividend liability has been taken into account and the shortfall has been treated notionally as loans to Railways. The receipt side shows their gross sale proceeds and the interest receipts on their outstanding balances in various funds. A part of the surplus emerging out of this is transferred to the current account of Government administration (Account I) as undertakings' contribution and the balance appears as retained profits.

These retained profits together with the savings of the Government administration and depreciation provision of departmental undertakings constitute total gross Government savings, available for gross capital formation.

Account 3: Transactions in commodities and services and transfers : Capital account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings (combined)

This account is concerned with the total capital outlay representing physical asset formation by administration and departmental commercial undertakings and capital transfers. A distinction between administration and departmental commercial undertakings in respect of capital expenditure is not very meaningful for the reason that the entire expenditure on capital formation is a final expenditure which is a charge on the national product and for which Government has to find resources either from its own savings or by drawing on private savings.

The physical asset formation by Government has been shown in terms of gross and net asset formation (excluding the renewal and replacement expenditure of departmental commercial undertakings) and net increase in inventories. A breakdown of capital transfers has also been indicated. The deficit on all transactions in commodities and services and transfers is shown as a balancing item in Account 3 and this measures the change in Government's net indebtedness to the rest of the economy.

Item 1.1: Building and other construction include all buildings for residential, office and other purposes, road construction, works of railways and posts, telecommunications, power and other capital projects.

मद 1.2: मशीनें और उपकरण मद में, विभिन्न किस्मों की मशीनों और उपकरणों की खरीद के संबंध में किये जाने वाला व्यय शामिल है। इनमें विदेशी सहायता के अंतर्गत प्राप्त मशीनें भी शामिल होती हैं। "नवीकरण और प्रतिस्थापन" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाए गए व्यय का संबंध विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास निधियों से वित्तपोषित व्यय से है। इसलिए मशीनों और उपकरणों पर तथा सरकारी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले निर्माण संबंधी समस्त व्यय को 'नया परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है क्योंकि इन परिसम्पत्तियों के मूल्यहास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मद 2: निर्माण कार्य संबंधी भंडार में वृद्धि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामान और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक विभागों के तालिकागत सामान में होने वाली निवल वृद्धि अथवा कमी को इस मद में दिखाया गया है। वर्ष 1977-78 (लेख) से शुरु करके आयातित उर्वरकों के लेन देनों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विगत वर्षों की वसूलियों, जिन्हें विविध पूंजी प्राप्तिियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, के तहत दर्शाई गई बकाया प्राप्तिियों को घटाकर स्टॉक में वृद्धि की बजाय आर्थिक सहायता के रूप में माना जाता है।

मद 3.1: पूंजी निर्माण के लिए अनुदान: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले एकमुश्त अनुदानों का आधा शामिल है, जो राजस्व बजट में ऐसे अनुदानों के साथ पूंजी निर्माण (अर्थात् ग्रामीण निर्माण कार्य) में सहायता देने के उद्देश्य से दिए जाने हैं। अन्य को दिए जाने वाले अनुदानों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों का एक भाग शामिल है जो उपकरणों की खरीद और निर्माण के लिए दिए जाते हैं।

मद 3.3: इस मद में अन्य देशों को दिए जाने वाला अनुदान शामिल है। इन अनुदानों को चालू अंतरण की बजाय पूंजीगत अंतरण मानने का औचित्य यह है कि उनमें देश से बाहर आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए बचतें अर्जित हैं।

मद 5 और 6: पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध प्राप्तिियों में विवरण 1 और 2 से आगे लाई गई चालू खाते की सकल बचतें, तथा विदेशी अनुदानों जिसमें दूसरे देशों से प्राप्त नकदी अनुदान और वस्तु अनुदानों की प्राप्तियां हैं, शामिल हैं। अन्य पूंजीगत प्राप्तिियों में, निष्क्रांत सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि तथा जमीन की बिक्री शामिल हैं। अन्य भौतिक परिसंपत्तियों की बिक्री को भवन और अन्य निर्माण संबंधी परिव्यय में से घटा दिया गया है।

विवरण 4: वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन: सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

विवरण 4 का संबंध औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की शेयर पूंजी में निवेश राशि और शेष अर्थ-व्यवस्था को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन-देन से है। ऋणों की राशि पूंजी निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के बीच आवंटित की गई है। पूंजी निर्माण के लिए शेयरों और ऋणों में निवेशित रकमों से जो विवरण 4 में दिखाई गई है, यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करने का जो काम हाथ में लेती है उसके अतिरिक्त वह वित्तीय सहायता देकर अर्थव्यवस्था में किस सीमा तक पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देती है। विवरण 4 की संतुलनकारी मद सहित, जो वित्तीय निवेशों और केन्द्रीय सरकारी के ऋणों के निवल परिव्यय की द्योतक है, के साथ विवरण 3 के घाटे की राशि निवल आन्तरिक और निवल विदेशी ऋणों की रकम से तथा घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरी की जाने वाली कुल वित्तीय आवश्यकता का पता चलता है।

मद 1: सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयरों में किए जाने वाले निवेशों का संबंध सरकार के ऐसे गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की शेयर पूंजी

Item 1.2: Machinery and equipment include expenditure incurred on the purchase of various types of machinery and equipments including machinery obtained under foreign aid. The expenditure shown against 'renewals and replacement' refers to expenditure financed out of the depreciation funds of the departmental commercial undertakings. The entire expenditure on machinery and equipment as well as on construction by the Government administration therefore appears as 'new outlay', since no provision for depreciation of these assets is made in the budget.

Item 2: Increase in works stores: The net increase or decrease in stores needed for construction work and inventories of departmental commercial undertakings and administrative departments is shown under this item. There has been a change introduced in classifying imported fertilizers' transactions beginning 1977-78(Accounts) whereby the net transactions are treated as subsidy instead of increase in stocks after deducting arrear receipts shown under recoveries for past years which are classified under miscellaneous capital receipts.

Item 3.1: Grants for Capital Formation: Capital grants to States and Union Territories include one-half of block grants given as Central assistance for plan schemes, as well as such grants in the revenue budget as are intended to assist capital formation(e.g. rural works). Grants to others include part of grants to institutions like Council of Scientific and Industrial Research and Institutes of Technology, treated as intended for purchase of equipment and for construction.

Item 3.3: This item includes grants to foreign countries. The rationale of treating these grants as capital rather than current transfer is that they involve transfer of savings for economic reconstruction and development outside the country.

Item 5 and 6: Receipts available for capital formation consist of gross savings on current account brought over from Accounts 1 and 2, and receipts of foreign grants include both cash grants and commodity grants received from other countries. Other capital receipts include sale proceeds of evacuee property and proceeds from sale of land. The sale of other physical assets has been netted against outlay on building and other construction.

Account 4: Changes in financial assets : Capital Account of Government Administration and Department Commercial Undertakings

Account 4 is concerned with transactions in financial assets, i.e. investment in share capital of industrial and commercial concerns and loans and advances granted to the rest of the economy. Loans have been allocated between those meant for capital formation and those for other purposes. Investments in shares and loans for capital formation as shown in Account 4 indicate the extent to which the Central Government promotes capital formation in the rest of the economy through financial assistance in addition to the capital formation directly undertaken by it. The balancing item of Account 4, representing net outlay on financial investments and loans of the Central Government together with the deficit in Account 3 represents the total requirements of finance to be met out of net domestic and net foreign borrowing and by the deficit financing.

Item 1: Investments in shares of Government concerns denote investments in the share capital of such non-departmental

में निवेश से है, जिनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्रीय सरकार के पास हों। बैंकों, सामान्य बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप अधिगृहीत शेयरों आदि को भी निवेश माना जाता है। अन्य सभी प्रतिष्ठानों को, चाहे वे गैर-सरकारी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हो, 'अन्य' प्रतिष्ठान कहा गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में, वित्तीय प्रतिष्ठानों और गैर-वित्तीय प्रतिष्ठानों के बीच भेद किया गया है।

मद 2: पूंजी निर्माण के लिए दिए ऋणों में पूंजी-परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल है जिसमें राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा औरों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं। केवल गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को दिए गए आयोजनागत ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है। पूंजी निर्माण के लिए औरों को दिए जाने वाले ऋणों में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों, सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले तथा मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

मद 3: राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले "अन्य ऋणों" में अर्थोपाय अग्रिम, अल्पावधि कृषि ऋण, प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में देय ऋण तथा आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं। चूंकि राज्यों को दिए गए सभी अर्थोपाय अग्रिम उसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाते हैं इसलिए 1975-76 से इस शीर्ष के अन्तर्गत संवितरण और प्राप्तियों को छोड़ देने का निश्चय किया गया था। इसी प्रकार, कृषि निविष्टियों के लिए राज्य सरकारों को दिए अल्पावधि ऋणों को 1985-86 (लेखा) से छोड़ दिया गया है। राज्यों को दिये गये मध्यावधि ऋणों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके घाटों/ओवर ड्राफ्टों को पूरा करने के लिए दिए गए थे, को भी छोड़ दिया गया क्योंकि इनसे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तकों में राज्यों की देनदारियों का केन्द्र को अंतरण ही प्रकट होता था। गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्य ऋण में उसके घाटे की पूर्ति के लिए तथा पहले की ऋणों की वापसी अदायगियों के लिए दिए गए आयोजना-भिन्न ऋण भी शामिल हैं। तथापि 1975-76 (संशोधित अनुमान) से गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पिछले ऋणों के नवीनीकरण का ब्यौरा उपलब्ध हो गया है और इस कारण इनको व्यय और आय में शामिल नहीं किया गया है। विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों में वे तकनीकी ऋण शामिल हैं जो उन देशों को दिए जाते हैं जिनके साथ रुपयों में अदायगी करने के लिए करार किए गए हैं। चूंकि अधिकांश तकनीकी ऋणों की वसूली उसी वित्तीय वर्ष में की जाती है इसलिए उन्हें अब 1981-82 (लेखा) से निवल आधार पर दिखाया गया है। अन्यो को दिए जाने वाले ऋणों में सरकारी कर्मचारियों के देय वाहन अग्रिम तथा राहत (जैसे चक्रवात) ऋण शामिल हैं।

मद 4: इसमें अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को दिए जाने वाले अभिदान शामिल हैं।

मद 5: यह मद स्वर्ण की किसी भी बिक्री की राशि के समायोजन के बाद स्वर्ण की वास्तविक खरीद को दर्शाता है जैसे कि 1980-81 में 4 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडों के रूप में वापसी अदायगी किया जाना।

मद 7: अन्यो द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी में सरकारी उपक्रमों द्वारा वापस अदा किए गए ऋण शामिल हैं। यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्यों को दिए जाने वाले अल्पावधि कृषि ऋण को उसी वर्ष में वापस अदा करना पड़ता है लेकिन उन्हें प्राप्ति के साथ साथ व्यय मदों में दिखाया जाता है।

मद 8: यह मद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री को दर्शाता है।

commercial undertakings of the Government, in which the Central Government ownership is more than 50 per cent. Acquisition of shares as a result of nationalisation of banks, general insurance etc., is also treated as investment. All other concerns whether in the private, cooperative or public sector have been treated as 'others'. In the case of Government concerns, a distinction has been drawn between financial concerns and non-financial concerns.

Item 2: Loans for capital formation include loans given for the creation of capital assets and comprise loans to States, local authorities, non-departmental commercial undertakings and others. Only plan loans given to non-departmental commercial undertakings have been taken as loans for capital formation. Loans for capital formation to others include loans to private industrial undertakings, cooperative housing societies and house-building loans to Government employees.

Item 3: 'Other loans' to State Governments and Union Territories include ways and means advances, short-term agricultural loans, loans for natural calamities and special loans for meeting non-plan gaps. Since the entire ways and means advances to States are recovered within the same financial year, it was decided to ignore both the disbursements and the receipts under this head with effect from 1975-76. Similarly, short-term loans to State Governments for agricultural inputs have been ignored with effect from 1985-86 (Accounts). Medium-term loans to States to clear their deficits/overdrafts with the Reserve Bank of India are also ignored, as these represent only transfer of liability from the States to the Centre in the books of the Reserve Bank. 'Other loans' to non-departmental commercial undertakings include non-plan loans given for meeting their losses and also for the repayment of past loans. However, from 1975-76(RE) onwards, the details of renewals of past loans in respect of non-departmental commercial undertakings became available and therefore, these have been excluded both from the outgoing and the incoming. Loans to foreign Governments also include technical credits to countries having rupee payment agreements. Since a large part of technical credits are recovered within the same financial year, these are now shown on a net basis with effect from 1981-82(Accounts). Loans to 'others' include conveyance as well as relief (e.g. cyclone) loans to Government employees.

Item 4: This include subscription to IMF, IBRD, IDA and ADB.

Item 5: This represents net purchase of gold after adjusting for any sale of gold, as for instance repayment in gold of National Defence Gold Bonds in 1980-81 valued at Rs.4 crores.

Item 7: Repayments by others include loan repayments by public undertakings. It may be noted that short-term agricultural loans in respect of States are supposed to be repaid in the course of the same year but appear as items of receipts as well as of expenditure.

Item 8: This represents the sale of shares of Central Public Sector Undertakings.

विवरण 5: वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन: सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

यह विवरण केन्द्रीय सरकार के ऋण संबंधी लेखे का द्योतक है और इसका संबंध विवरण 3 और 4 से होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था से है। प्राप्तियों में सकल बाजार ऋण की राशियों, सकल विदेशी ऋण और लघु बचतों से निवल प्राप्तियां, भविष्य निधियां, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा राशियां, मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों जिसमें शून्य कूपन बॉण्ड तथा परिपक्व राजकोषीय हुण्डियों के बदलने में ऋण शामिल है। मद 12 (ख) के अल्पकालिक ऋण में 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां शामिल हैं।

इस संबंध में खर्च होने वाली राशियों में बाजार ऋणों (मद 1) और विदेशी ऋणों (मद 2) के संबंध में वापसी अदायगियां शामिल हैं। इस विवरण के अन्तर्गत शेष राशि वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि को दर्शाती है और बकाया राशि के समायोजन के साथ मिलाने पर वह विवरण 3 और विवरण 4 की संतुलनकारी मदों के योग के बराबर हो जाती है।

विवरण 6: सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता

यह एक समाधान खाता है जो विवरण 3, 4 और 5 की निवल स्थिति का समाधान है और केन्द्रीय सरकार के सभी लेन-देनों के, उसकी नकदी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाता है। विवरण 5 में राजकोषीय हुण्डियों की बिक्री की निवल राशियों और नकद शेष राशि में होने वाले अन्तर को मिलाकर देखना केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी घाटे को मापने की एक परम्परागत व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से घाटे की वित्त व्यवस्था को ठीक-ठीक समझने के लिए हालांकि और बातों का समायोजन आवश्यक होता है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य पार्टियों को बेची जाने वाली राजकोषीय हुण्डियों की राशि को अलग करना पड़ता है और इस घाटे का हिसाब लगाने के लिए बाजार ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले समर्थन को इसमें शामिल करना पड़ता है।

ख. कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्यात्मक वर्गीकरण का उद्देश्य किए जाने वाले विस्तृत प्रयोजनों के संदर्भ में सरकारी खर्च की मुख्य मदों अर्थात् रक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाओं आदि मदों को भिन्न-भिन्न वर्गों में संकलित करना है। यद्यपि इस पुस्तिका में वर्गीकरण का उद्देश्य सरकारी व्ययों के कार्यात्मक वर्गीकरण में कुछ संशोधन करना नहीं है जो कि वर्तमान बजट पत्रों में हैं, बल्कि यह आर्थिक वर्गीकरण के साथ कार्यों के पुनः वर्गीकरण करने का एक प्रयास है ताकि आर्थिक वर्गीकरण से उत्पन्न आयामों का महत्व बढ़ाया जा सके।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि कार्यात्मक वर्गीकरण की स्कीम, वस्तुतः व्यय से संबंधित है और यह प्राप्तियों पर लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार का कुल परिव्यय जिस पर यह लागू होता है, आर्थिक वर्गीकरण विवरण 1 में चालू व्यय, विवरण 3 में पूंजी परिव्यय और विवरण 4 में वित्तीय निवेशों और श्रेणियों तथा अग्रिमों से बनता है। ये तीन विवरण उन व्ययों को प्रदर्शित करते हैं जिनका संबंध सरकारी नीतियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट प्रयोजनों के साथ जोड़ा जा सकता है। यही बात विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय के लिए नहीं कही जा सकती। (जैसा आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 2 में दिखाया गया है) हालांकि इन उपक्रमों द्वारा किया गया पूंजी निर्माण कार्यात्मक वर्गीकरण में शामिल किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के व्यय का वर्गीकरण चार मुख्य श्रेणियों में किया गया है:-

Account 5: Changes in financial liabilities : Capital Accounts of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

This represents the borrowing account of the Central Government, and is concerned with the provision of finance for meeting the deficits emerging from Account 3 and 4. Incomings detail gross market borrowing, gross borrowing from abroad, net accretions to small savings, provident funds, deposits of non-government provident funds, medium and long term loans include Zero Coupon Bonds and loans in conversion of maturing Treasury Bills. Short term loans at 12(b) include 364 days Treasury Bills.

The outgoings on this account include repayments on account of market borrowings (item 1) and foreign loans (item 2). The balance emerging from this Account represents the net increase in financial liabilities and together with adjustment in cash balances is equivalent to the sum of balancing items in Account 3 and 4.

Account 6: Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

This is the reconciliation account summing up the net position in respect of Accounts 3, 4 and 5 and showing the effect of all transactions of the Central Government on its cash position. The net variation in the cash balance read with net sales of treasury bills in Account 5 provide a conventional measure of the Central Government's budgetary deficit. The derivation of deficit financing in an economically more meaningful sense, however, calls for further adjustments; sales of treasury bills to parties other than the Reserve Bank of India have to be excluded and the Reserve Bank's support to market borrowings included in the computation of this deficit.

B. Functional Classification

A functional classification is designed to group the main items of Government expenditures in terms of broad purposes to be served, i.e. defence, administration, health, education, economic services etc. The objective of the classification adopted in this brochure, however, is not to introduce some refinements in the functional grouping of Government expenditures as may be already existing in the budget documents, but rather it is to attempt a reclassification by functions in conjunction with an economic classification in order to increase the significance of the magnitudes emerging from the latter.

It is also noteworthy that the scheme of functional classification relates essentially to expenditures and does not apply to receipts. The total outlay of the Central Government to which it applies is made up of the current expenditure in Account 1, capital expenditure in Account 3 and financial investments and loans and advances in Account 4 of the Economic Classification. These three accounts show expenditures which can be related to specific purposes to be served by Government policies. The same cannot be said of the current expenditure of departmental commercial undertakings (as shown in Account 2 of the Economic Classification) although capital formation by these undertakings is included in the functional classification.

The expenditure of the Central Government has been grouped into four main categories:

1. सामान्य सेवाएं
2. सामाजिक सेवाएं
3. आर्थिक सेवाएं
4. अनावंटनीय

श्रेणी 1: इसका संबंध सामान्य सेवाओं से है और इसमें असैनिक (सिविल) तथा रक्षा संबंधी दोनों व्यय आते हैं। ये व्यय राष्ट्र के बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था के लिए किए जाते हैं अतः सामान्य प्रशासन, कर संग्रह, पुलिस, करेंसी तथा टकसाल, विदेशों से संबंध, रक्षा तथा प्राकृतिक विपत्तियों से बचाव के लिए किया जाने वाला आयोजना-भिन्न व्यय इस श्रेणी के अन्तर्गत दिखाया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों के निदेशन तथा अधीक्षण से संबंधित प्रशासनिक व्यय को संबद्ध कार्यात्मक शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया गया है। जहाँ एक से अधिक कार्यकलाप शामिल हों (उदाहरणार्थ लोक निर्माण कार्य), वहाँ ऊपरी प्रशासनिक खर्च को, यथा सम्भव, विभिन्न कार्यकलापों में बांटने का प्रयास किया गया है।

श्रेणी 2: इसका संबंध सामाजिक सेवाओं से है और यह समाज के लिए बुनियादी सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का व्यय शामिल है। शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य और तकनीकी शिक्षा (अर्थात् इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेज) और मूल अनुसंधान भी शामिल है। यद्यपि अन्तर सेवा प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान को संबद्ध कार्यकलाप में आवंटित किया गया है। उदाहरण के लिए, परमाणु तथा औद्योगिक अनुसंधान दोनों उद्योग के अन्तर्गत दिखाए गए हैं। उपसमूह "चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य" में परिवार कल्याण के कार्यक्रम भी आते हैं। उपसमूह 'अन्य सामाजिक सेवाओं' में आवास, श्रमिक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याण योजनाएं, संग्रहालय, पुरातत्व, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा प्रसारण और प्रचार के अन्य साधनों से संबंधित व्यय भी शामिल है। बजट में विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के लिए जो व्यय व्यवस्था की गई है वह इसमें शामिल हैं। इसी उप-समूह में प्राथमिक शिक्षा, गन्दी बस्ती के सुधार, ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए बजट में एक मुश्त रकम के रूप में की गई व्यय व्यवस्था भी शामिल है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का व्यय भी यहां पर दिखाया गया है। विस्थापितों के लिए राहत कार्य पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल है।

श्रेणी 3: इसमें आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था आती है और इसमें ऐसे सभी व्यय शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। इसलिए उत्पादक संबंधी आर्थिक सहायता जैसे कि उर्वरकों, कोयला और रेलवे के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ-साथ निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता यहां शामिल की जाती है। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार और 'अन्य सेवाएं' में और आगे अन्तः-विभाजन आर्थिक कार्यकलाप की किस्म के अनुसार किया जाता है। कृषि में सिंचाई, पशु-पालन, मत्स्य उद्योग, वानिकी, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास शामिल है। उद्योग में मोटे तौर पर बड़े और छोटे उद्योग तथा ग्रामोद्योग, विद्युत विकास, खनिज साधनों का दोहन तथा व्यापार और निर्यात संवर्धन आते हैं। परिवहन और संचार में रेल, डाक, दूर-संचार, पत्तन, नौवहन, नागर विमानन, सड़कें आदि शामिल हैं। 'अन्य आर्थिक सेवाएं' एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर परियोजना और लघु बचतों में राज्यों के हिस्से जैसी मदें शामिल हैं। राज्यों को आयोजनागत सहायता के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर किए गए एकमुश्त अनुदान और ऋण भी इसी श्रेणी में आते हैं, हालांकि इन्हें अलग दिखाया गया है। इस प्रकार ये सभी व्यय ऐसे हैं जिनका संबंध आर्थिक कार्यकलापों की एक से अधिक किस्मों से है।

1. General Services
2. Social Services
3. Economic Services
4. Unallocable

Category 1 : Category 1 relates to General Services and covers both civil and defence. These expenditures are incurred for the provision of the basic administrative structure of the nation; thus expenses on general administration, tax collection, police, currency and the mint, conduct of external relations, defence and the non-plan provision against natural calamities are shown under this category. It may be noted that the administrative expenditures concerned with the direction and superintendence of the various social and economic activities appear under the relevant functional heads. Where more than one activity is involved (e.g. public works), an attempt has been made to apportion, to the extent possible, the administrative overheads to the various activities.

Category 2 : Category 2 relates to Social Services and is concerned with the provision of basic social amenities to the community. Expenditures on education, medical and public health and other social services are included here. Education covers both general and technical education (e.g. engineering and medical colleges) and also basic research. However, in-service training and applied research have been allocated to the activities concerned. For instance, both atomic and industrial research appear under Industry. The sub-group 'medical and public health' also covers family welfare programmes. The sub-group 'other social services, includes housing, labour welfare and other social welfare schemes, museums, archaeology, public libraries and also expenditures connected with broadcasting and other publicity media. Expenditures provided in the budget for various programmes of employment are also included here. This sub-group also covers such expenditures as the lump-sum provision made in the budget for primary education, slum improvement, rural water supply and rural home sites. The expenditure on nutrition programme for children is also shown here. The relief expenditure for displaced persons are included here.

Category 3 : Category 3 comprises provision for Economic Services and includes all such expenditures as to promote, directly or indirectly, productive activity within the economy. Producer's subsidies such as for fertilisers, coal and railways, as also the assistance for export promotion and market development are, therefore, included here. Further sub-division into agriculture, industry, transport and communications and 'other economic services' is done according to the type of economic activity. Agriculture includes irrigation, animal husbandry, fisheries, forestry, cooperation and community development. Industry broadly covers both large, small scale and village industries, power development, exploitation of mineral resources and trade and export promotion. Transport and communications include Railways, Posts, Tele-communications, ports, shipping, civil aviation, roads etc. 'Other economic services' is a residual category which includes items like outlays on multipurpose projects, and States' share in small savings. The block grants and loans granted by the Centre to the States for plan assistance, although shown separately, also belong to the same category. All these expenditures are as such concerned with more than one type of economic activity.

अन्त में, कुछ ऐसे किस्म के व्यय हैं जिनका संबंध विशिष्ट प्रयोजनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उनका वर्गीकरण “अनावंटनीय” श्रेणी के अन्तर्गत किया गया है। इसमें शामिल व्यय की मुख्य किस्में हैं - ब्याज अदायगी, पेंशन, उपभोक्ता को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, (जैसे खाद्य, खाद्य तेल तथा नियंत्रित कपड़े पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता) तथा राज्य सरकारों को सांविधिक सहायता अनुदान, और विशेष ऋण। यद्यपि खपत संबंधी आर्थिक सहायता की रकमें अनावंटनीय मानी गई हैं, अन्य आर्थिक सहायता की रकमें जैसे उर्वरकों और निर्यातों के लिए आर्थिक सहायता संगत कार्यात्मक श्रेणियों में आवंटित की गई हैं। अनावंटनीय श्रेणी में विदेशों को रकमों का अन्तरण जैसे नेपाल और भूटान को अनुदान तथा अन्य देशों को तकनीकी ऋण तथा अन्य ऋण भी आते हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अभिदानों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन को दिए जाने वाले अंशदान अपने-अपने कार्यात्मक शीर्षों (जैसे स्वास्थ्य तथा कृषि) के अन्तर्गत आते हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि को दिए जाने वाले अभिदान “सामान्य सेवाएं” के अन्तर्गत दिखाए गए हैं।

आर्थिक श्रेणियों तथा कार्यों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के व्ययों के प्रति वर्गीकरण में, जैसा इस पुस्तिका में बताया गया है, स्तम्भ (कालम) कार्यात्मक श्रेणियों के अनुरूप हैं और पंक्तियां उनके आर्थिक स्वरूप को सूचित करती हैं जिसका आधार आर्थिक वर्गीकरण है। अतः स्तम्भों के अनुसार पढ़ते हुए आर्थिक शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यात्मक श्रेणी का ब्यौरा देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए, इससे यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष चालू व्यय के रूप में शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ, अनुदानों और ऋणों के रूप में कितना व्यय हुआ और पूंजी निर्माण अर्थात्, स्कूली इमारतों आदि के निर्माण के रूप में कितना खर्च हुआ। इसी प्रकार, पंक्तियों के साथ-साथ पढ़ते हुए यह पता चलता है कि खपत या पूंजी निर्माण पर होने वाले व्यय में से प्रशासनिक सेवाओं के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता तैयार करने पर कितना खर्च किया गया। इस प्रकार, प्रति वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का द्योतक है जिसे खपत, सकल पूंजी निर्माण, चालू और पूंजीगत अंतरणों और वित्तीय निवेशों तथा ऋणों और अग्रिमों की मदों में और उसके मुख्य प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रयोजनों के हिसाब से बांट कर दिखाया गया है।

Finally, there are certain types of expenditure which cannot be related to specific purposes and have been grouped under the category “unallocable”. The main types of expenditures included here are interest payment, pensions, consumer subsidies (such as on food, edible oils and controlled cloth) and such transfers to the State Governments as statutory grants-in-aid, and special loans. While consumption subsidies have been treated as unallocable, other subsidies such as subsidies for fertilisers, and exports have been allocated to the relevant functional categories. The unallocable category also includes transfer to foreign countries e.g. grants to Nepal and Bhutan, technical credits and other loans to foreign countries. As regards contributions to international organisations, it may be noted that while contributions to such organisations as World Health Organisation and Food and Agricultural Organisation of the United Nations, appear under the respective functional heads (viz. health and agriculture) contribution to the United Nations and also subscription to IMF, IBRD etc., are shown under General Services.

In the cross-classification of the Central Government expenditure by economic categories and by functions, as presented in this brochure, columns correspond to the functional categories and rows indicate their economic character, as derived from the Economic Classification. Thus reading along columns one may find out the breakdown of each functional category under economic heads; for instance, it would show as to how much of the total expenditure on education is in the form of direct current expenditure, how much in the form of grants and loans and how much in the form of capital formation i.e. construction of school buildings, etc. Similarly, reading along rows, one may find out as to how much of the expenditure on consumption or capital formation is for administrative services and how much for building up social and economic potential. The cross-classification thus shows the total expenditure of the Central Government as broken down into consumption, gross capital formation, current and capital transfers and financial investments and loans and advances and as related to their broad administrative, social and economic purposes.